रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229997
CG-DL-E-27092021-229997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
No. 288] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

मामला सं. एडी-ओआई -38/2020

विषयः ईरान, ओमान, सऊदी अरब और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्काइंड जिप्सम पाउडर के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/45/2020- डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के संबंध में-

1. मैसर्स सेंट गोबाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के अनुसरण में ईरान, ओमान,

सऊदी अरब और यूएई (जिन्हें यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से कैल्काइंड जिप्सम पाउडर (जिसे यहां "अथवा जिप्सम पाउडर" या " संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को लागू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. जबकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि लगाया जाता तो घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में संबद्ध जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं 6/45/2020-डीजीटीआर, दिनांक 29.09.2020 के अनुसार एक पब्लिक नोटिस जारी किया।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है-

क. प्राधिकारी ने ऊपर नियमावली के तहत, संबद्ध देशों से "कैल्काइंड जिप्सम पाउडर" के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक से एक लिखित आवेदन प्राप्त किया है।

ख. प्राधिकारी ने ऊपर नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसरण में जांच की शुरूआत करने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व एक पाटन रोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29.09.2020 का एक पब्लिक नोटिस जारी किया।

घ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग साथ ही, अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

ङ. प्राधिकारी ने ऊपर नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध करायी।

च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी उनके देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया। निर्यातकों/उत्पादकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई।

छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी-

i. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी

ii. नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कं., ईरान

iii. बिल्डऑन वर्ल्ड (एफजेडई), यूएई

iv. रॉक वर्ल्ड एफजेडसी, यूएई

ज. संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा निर्यातक प्रश्नावली दायर की गई है-

i. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी

ii. नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कं., ईरान

iii. बिल्डऑन वर्ल्ड (एफजेडई), यूएई

iv. रॉक वर्ल्ड एफजेडसी, यूएई

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में अनिवार्य सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिकित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातकों की प्रश्नावली भेजी-

i. बिल्डऑन प्लास्टर्स प्रा. लिमि.

ii. वान्स जिप्सम प्रा. लिमि.

iii. एनकेवी होम डिपोट

iv. प्रभा स्पेशिएलिटिज

v. सन्खला ब्रदर्स

vi. मेटकॉप जिप्सम इंडिया प्रा. लिमि.

vii. 3 आई शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्रा. लिमि.

viii. आशटेक (इंडिया) प्रा. लिमि.

ix. बीजीएम मार्केटिंग कं. प्रा. लिमि.

x. ग्लोबल ट्रेडिंग कं.

xi. विनायक जिप्सम एंड इंटिरियर प्रा. लिमि.

xii. इंडियन ट्रेडिंग

ञ. निम्नलिखित आयातकों ने अपने प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं-

i. बिल्डऑन प्लास्टर्स प्रा. लिमि., भारत में आयातक

ii. बिल्डऑन, भारत मे आयातक

iii. संख्ला ब्रदर्स, भारतीय आयातक

iv. साईकरूपा एजेन्सीज, भाररतीय आयातक

v. विनायक जिप्सम, भारतीय आयातक

vi. प्रभा स्पेशिएलिटिज, भारतीय आयातक

ट. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) है। तथपि, क्षति संबंधी विचाराधीन अवधि में अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

ठ. प्राधिकारी ने ई-मेल के जरिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत/अनुरोध किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

ड. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक (डीजीसीआई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार विवरण उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया जिसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की संगणना और सौदों की उचित जांच के पश्चात इसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आकड़ों पर भरोसा किया है।

ढ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 1.3.2021 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। सभी पक्षकार जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन्हें लिखित में अपने अनुरोध, उसके बाद प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

ण. इस अनुरोध सहित, सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई, जिसमें उन सबसे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके निवेदनों के अगोपनीय पाठ ई-मेल करने के लिए कहा गया था क्योंकि सार्वजनिक फाइल जारी वैश्विक महामारी के कारण प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध नहीं थी।

त. आवेदक से अनिवार्य मानी गई सीमा तक और सूचना मांगी गई। वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन अनिवार्य समझी गई सीमा तक आयोजित किया गया।

थ. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत और उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से निम्न पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

द. कोविड-19 की वजह से यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारण घरेलू उद्योग/निर्यातकों और आयातकों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना का स्थल पर सत्यापन के जरिए प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया जा सका। तथापि, प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य समझी गई सीमा तक पूर्ण डेस्क सत्यापन किया गया। इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ, जहां भी प्रयोज्य था, जरूरी परिशोधन के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर ही भरोसा किया गया है।

ध. इस अंतिम जांच परिणाम में, प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर वर्तमान जांच के संगत साक्ष्यों से समर्थित और प्रासंगिक समझे गए अनुरोधों पर उचित रूप से विचार किया गया है।

न. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपूर्ति की गई सूचना की शुद्धता के बारे में संतुष्ट होने पर, जो इस अंतिम जांच परिणाम के आधार का निर्माण करती है, संगत और संभव समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया है।

प. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्ता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर जहां भी जरूरी था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी जरूरी था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

फ. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटीकरण विवरण जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बनेगा, इच्छुक पार्टियों को 10.09.2021 को जारी किया गया था और इच्छुक पार्टियों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 16.09.2021 तक का समय दिया गया था। इसके अलावा, 18 सितंबर, 2021 को प्रकटीकरण विवरण के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था, और इच्छुक पार्टियों को 21 सितंबर, 2021 तक टिप्पणी, यदि कोई हो, दर्ज करने के लिए कहा गया था। इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों पर विचार इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना में प्रासंगिक पाई गई सीमा तक किया गया है ।

ब. वर्तमान जांच की अवधि के दौरान, जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने अनिवार्य सूचना जुटाने से मना किया है या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक हस्तक्षेप किया है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

भ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार समझी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर= 71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. शुरूआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-

वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "कैल्काइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर" है (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है)। संबद्ध वस्तु को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टॅको और स्टॅको पाउडर" के रूप में भी जाना जाता है। जिप्सम रॉक को रासायनिक तौर पर कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट (CaSO4. 2 H2O), कहा जाता है जिसे जब नियंत्रित तरीके से गर्म किया जाता है तो वह अपनी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी खो कर स्टॅको या जिप्सम प्लास्टर बन जाता है जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण अनुप्रयोगों, सजावटी भवन निर्माण तत्वों जैसे कोर्निसिज और पीओपी शीट आदि में प्लास्टर को समतल करने के लिए किया जाता है।

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार है-

क. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "कैल्काइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर" है। संबद्ध वस्तुओं को "प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टॅको और प्लास्टर पाउडर" के रूप में भी जाना जाता है।

ख. जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट (CaSO4. 2 H2O) कहा जाता है जिसे जब नियंत्रित तरीके से गर्म किया जाता है तो यह अपनी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी खो कर स्टॅको या जिप्सम प्लास्टर बन जाता है जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाईड्रेट (CaSO4. 0.5 H2O) के रूप में जाना जाता है।

ग. संबद्ध वस्तुओं का मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है-

i. भवन निर्माण में प्लास्टर समतल करना। इसका प्रयोग सतह को समतल करने के लिए किया जाता है। उदाहरण ब्रिक / ब्लॉक / आरसीसी सरफेस को जिप्सम प्लास्टर के 12-15 मि.मी. के साथ कोटिड किया जाता है जो इसे चिकनी लहरदार, दरारमुक्त रूप देता है। तब इसके ऊपर पुट्टी और पेंट लगाया जाता है। पारंपरिक रूप से लोग रेत-सीमेंट प्लास्टर का प्रयोग करते हैं जिसे अब जिप्सम प्लास्टर के सीधे कोट से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

ii. सजावटी भवन निर्माण तत्व जैसे कोर्निसिज और पीओपी शीट्स।

iii. पनिंगोइस का प्रयोग रेत-सीमेंट प्लास्टर के ऊपर समतल करने/फिनिशिंग तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है।

घ. संबद्ध उत्पादों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 25 "खनिज उत्पादः साल्ट, सल्फर, अर्थ एवं स्टोन, प्लास्टिरिंग सामग्री, लाइम और सीमेंट" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 25202010 है। तथापि, ये वस्तुएं अध्याय 25 के अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी आती हैं। यह भी नोट किया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण प्रतिकूल की परिस्थितियों में अभिभावी है।

ड. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं समान वस्तु हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कैल्काइंड जिप्सम पाउडर और संबद्ध देशों से आयातित जिप्सम पाउडर अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे कि भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन एवं वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और अतः इन्हें नियमावली के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए।

ग.2. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "कैल्काइंड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर" है। संबद्ध वस्तुओं को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टॅको और स्टॅको पाउडर" के रूप में भी जाना जाता है।

8. जिप्सम रॉक को रासायनिक तौर पर कैल्शियम सल्फेट डिहाईड्रेट (CaSO4. 2 H2O) कहा जाता है जो नियंत्रित तरीके से गर्म किए जाने पर स्टॅको या जिप्सम प्लास्टर बनने के लिए इसकी क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी (H2O) की हानि होती है जिसे रसायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट (CaSO4 0.5 H2O) के रूप में जाना जाता है।

9. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग मुख्य रूप से सतह को समतल करने के लिए किया जाता है उदाहरणर्थ ब्रिक / ब्लॉक / आरसीसी सरफेस को जिप्सम प्लास्टर के 12-15 मि.मी. के साथ कोटिड किया जाता जो इसे चिकनी लहरदार, दरारमुक्त रूप देता है। तब इसके ऊपर पुट्टी और पेंट लगाया जाता है। पारंपरिक रूप से लोग रेत-सीमेंट प्लास्टर का प्रयोग करते हैं जिसे अब जिप्सम प्लास्टर के सीधे कोट से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसे सजावटी भवन निर्माण तत्वों जैसे कोरनिक्स और पीओपी शीट्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग पनिंग के प्रयोजनार्थ जैसे रेत-सीमेंट प्लास्टर के ऊपर लेवलिंग/फिनिशिंग तत्व के रूप में भी किया जाता है।

10. संबद्ध उत्पादों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 25 "खनिज उत्पादः साल्ट, सल्फर, अर्थ एवं स्टोन, प्लास्टिरिंग सामग्री, लाइम और सीमेंट" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 25202010 है। यह भी नोट किया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण प्रतिकूल परिस्थितियों में अभिभावी है।

11. "समान वस्तु" की परिभाषा के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार, यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि "समान वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो भारत में पारित किए जा रहे जांचाधीन उत्पाद से सभी पहलुओं से समान या सदृश है या ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में, कोई अन्य वस्तु, जो हालांकि सभी मामलों में एक जैसी नहीं है किन्तु जांचाधीन वस्तुओं से मिलती-जुलती विशेषताएं रखती हैं।

12. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित संबद्ध उत्पाद से विशेषताओं जैसे कि भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और मार्केटिंग एवं वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है।

13. अतः प्राधिकारी निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के अनुसरण में संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और उसकी स्थिति

घ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसकी स्थिति के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार है-

क. वर्तमान आवेदन मै. सेंट गोबाइन इंडिया प्रा. लिमि. (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख उत्पादक है और भारत में घरेलू समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है।

ख. इस विभाजित उद्योग से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों में पूरे देश से छोटे उत्पादकों की बड़ी संख्या शामिल है। बहुत से उत्पादकों ने या तो अपनी प्रचालन बंद कर दिए हैं या संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित और हानिकारक आयातों के कारण बंद होने के कगार पर हैं।

ग. एसजीपीआईएल भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख समानुपात के लिए जिम्मेदार है, आवेदक ने स्थिति को संतुष्ट किया है और नियमावली के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग है।

घ.2. अन्य हिबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध-

15. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसकी स्थिति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

क. भारत में संबंद्ध वस्तुओं के सैकड़ों उत्पादक हैं जिसमें से मुख्यतः छोटे स्तर की युनिटें हैं और इसलिए प्रत्येक प्रथम उत्पादक से उत्पादन से संबंधित आंकड़ें एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने किसी उचित आधार पर कुल भारतीय उत्पादन को मापने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं और स्पष्ट तौर पर सिर्फ अनुमान लगाए गए हैं। कृपया, संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन और उसमें आवेदक के हिस्से को उचित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और न कि निराधार अनुमानों के आधार पर।

ख. नियम 2(ख) की शर्तों की संतुष्टि के दावों की सख्ती से जांच किए जाने की जरूरत है और जैसा कि नियम में परिकल्पना की गई है, संबद्ध वस्तुओं के संबंध में आवेदक "घरेलू उद्योग" का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता।

ग. ऑल राजस्थान जिप्सम प्लास्टर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी यह बताते हुए शुल्कों को लागू करने के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया है कि पाटित आयातों के कारण उनके सदस्यों ने या तो अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं या बंद करने के कगार पर हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न है अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. आवेदन मै. सेंट गोबाइन इंडिया प्रा. लिमि. (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है जो भारत में घरेलू समान उत्पाद का प्रमुख उत्पादक (50 प्रतिशत से अधिक) है। मै. एसजीआईपीएल ने आगे अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक विभक्त उद्योग से है जिसमें पूरे देश से बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक शामिल हैं। आवेदन का समर्थन तीन कंपनियों द्वारा किया गया था अर्थात हाई-टेक जिप्सम प्रा. लिमि., प्रीमियर केमिकल कंपनी और आलागर पोली टेक्स (प्रा.) लिमि., जो कुल घरेलू उत्पादन के *** प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। यह भी नोट किया गया है कि ऑल राजस्थान जिप्सम प्लास्टर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी आवेदक द्वारा दायर याचिका का समर्थन किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी को भी उक्त जांच का विरोध करने संबंधी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों, साथ ही घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के सैकड़ों उत्पादक हैं जिनमें मुख्य रूप से लघु इकाईयां है और इसलिए उद्योग की प्राकृति और आकार के कारण प्रत्येक उत्पादक से पृथक रूप से उत्पादन से संबंधित आंकड़ें एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन और उसमें आवेदक के हिस्से को उचित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन को निर्धारित करने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं कराया है।

19. इसलिए, प्राधिकारी ने कुल भारतीय उत्पादन को परिकलित करने के लिए रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।

20. आवेदक उत्पादक ने भी सत्यापित किया है कि आवेदक या इसके किसी संबंधित पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से भी संबंधित नहीं है।

21. इसलिए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक के संबंध में विचार किया है और आवेदक उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

ड़. गोपनीयता

ड़.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

क. आवेदक ने व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के तहत उल्लिखित अनिवार्यताओं का पूर्णतया पालन किया है और उक्त व्यापार नोटिस के तहत यथा अपेक्षित सारी सूचना उपलब्ध कराई है। यह नोट करना उपयुक्त होगा कि कोई सुस्पष्ट आरोप लगाते हुए, प्रतिवादी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के साथ पठित नियम 7 की अनिवार्यताओं से किसी महत्वपूर्ण अंतर की ओर संकेत करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं।

ख. संबद्ध देशों से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों साथ ही, आयातकों से प्राप्त उत्तर पाटन रोधी नियमावली के नियम 7 और इस संबंध मे प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न व्यापार नोटिसों के तहत अपने दायित्वों के अनुसार नहीं है।

ग. कुछ विशिष्ट पक्षकारों के अपने प्रश्नावली उत्तरों के अगोपनीय पाठ घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराए हैं और नियमों के प्रावधानों की अवज्ञा की है। नियम 7(3) के संदर्भ में ऐसे पक्षकारों को उनके प्रश्नावली उत्तर सहित प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किए जाने की जरूरत है।

घ. जहां नियम 7 के संदर्भ में प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा दायर किए गए उत्तर ऋटिपूर्ण हैं, कुछ विशिष्ट पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को अपने उत्तर के अगोपनीय पाठ तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को रोके जाने से उनके द्वारा दायर उत्तर पर टिप्पणी करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को अत्यधिक सीमित कर दिया है।

ड़. निर्यातकों ने बिना किसी उचित औचित्य के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। कोई सही कारण दिए बिना प्रश्नावली उत्तर के गोपनीय पाठ में अन्तर्निहित सारी सूचना के लिए अगोपनीय पाठ को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

च. माननीय न्यायालय और अधिकरणों ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई सूचना को केवल इस कारण से गोपनीय माने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराया गया है और इसके बाद गोपनीयता के दावों की जांच करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट रूप से धारित किया गया है कि गोपनीयता पारदर्शिता को समाप्त करने के लिए प्रकटीकरण से इंकार करने या विरोधी पक्षकारों के लिए बाधा उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण मात्र नहीं है। यह निर्धारित किया गया है कि पारदर्शिता के प्रयोजन हेतू, प्राधिकारी पर यह दायित्व है कि वह पक्षकारों के लिए अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराना अनिवार्य करें जो विश्वास पर प्रस्तुत सूचना के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में होगा।

छ. दूर्भाग्य से, उक्त में से किसी भी पक्षकार ने न तो अपने उत्तरों में ऋटियों को सही करने का प्रयास किया है और न ही ऐसी महत्वपूर्ण सूचना के गोपनीय होने का दावा करने के लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया है।

ड़. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है-

क. वर्तमान आवेदन गोपनीयता के अत्यधिक उपयोग से ग्रस्त है और आवेदक ने गोपनीयता की आड़ में बहुत-सी आधारभूत सूचना प्रदान करने से मना किया है।

ख. कोई उचित औचित्य प्रदान किए बिना कुल भारतीय उत्पादन, मांग आदि से संबंधित सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ग. लागत संबंधी फार्मेट का कोई अनुक्रमण प्रदान नहीं किया गया है और परिणाम स्वरूप, विरोधी पक्षकार आवेदक की लागत में बहुत अधिक वृदधि के कारण का पता लगाने में असमर्थ है।

घ. ईरान के लिए सामान्य मूल्य की कोई सीमा उपलब्ध नहीं करायी गई है और इस कारण कोई टिप्पणी भी नहीं की जा सकी।

ड़. नियम 7 का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग न्यूनतम सूचना उपलब्ध करा सकता है। इसके बजाय यह घरेलू उद्योग को पर्याप्त विस्तार में सारांशों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सौंपता है ताकि यह गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषयवस्तु की उचित समझ की अनुमति दे सके।

च. माननीय सेस्टेट ने 'वर्टिफाइड टाइल्स' मामले में निर्णय दिया है कि गोपनीयता पारदर्शिता को समाप्त करने के लिए प्रकटीकरण से इंकार करने या विरोधी पक्षकारों के लिए बाधा सृजित करने का एक उपकरण मात्र नहीं है।

छ. कानून बताता है कि यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि यदि गोपनीयता के अनुरोध की अपेक्षित नहीं है और यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ज. आवेदन का अगोपनीय पाठ पूरी तरह से ऋटिपूर्ण है।

झ. आवेदन में अगोपनीय का ऐसा अत्यधिक प्रयोग हितबद्ध पक्षकारों के रक्षा के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और मौलिक निष्पक्षता के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है जिसे इस जांच में हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया जाना चाहिए।

ड़.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को निहित करने वाली ई-मेल/सार्वजनिक फाइल के जरिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया गया है।

25. गोपनीयता के संबंध में जांच की अवधि के दौरान आवेदक साथ ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया है।

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है-

गोपनीय सूचना :(1) नियम के उप नियमावली 6(2), (3) और (7), नियम के उप नियम 12 (2), नियम के उपनियम 15 (4) और नियम के उपनियम 17 (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम के उपनियम 5(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे। (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण

प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है। (3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

27. वेप्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दाकी अनुमति दी। प्राधिकारी का मानना है कि कोई भी सूचना जो स्वभाव से गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटीकरण एक प्रतियोगी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा या क्योंकि इसके प्रकटीकरण से सूचना की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उस व्यक्ति ने जानकारी हासिल की है), या जो किसी जांच के लिए पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की जाती है, अच्छे कारण दिखाए जाने पर, प्राधिकारी द्वारा ऐसा माना जाना चाहिए। ऐसी जानकारी को प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता है।

28. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय संस्करण को इच्छुक पक्षकारों को ईमेल - का निर्देश देकर उपलब्ध कराया। के माध्यम से एक दूसरे के साथ प्रस्तुतियों के अगोपनीय संस्करण को साझा करने घरेलू उद्योग केआयातों, निष्पादन मानकों और क्षति मानको से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदनशील जानकारी को प्रथा के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

29. प्राधिकारी ने आवेदक और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता पर दावे की अनुमति दी है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन अंतर का निर्धारण

30. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः -

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

31. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन अंतर के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

क. घरेलू उद्योग ने जांच शुरु करने के प्रयोजन के लिए अपने आवेदन में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वे संबद्ध देशों में प्रचलित कीमतों के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

इसके अलावा, संबद्ध देशों में वस्तुओं के आयात या अन्य देशों को निर्यात के बारे में जांच अवधि की वांछित सूचना सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी।

ख. सामान्य मूल्य की जानकारी, मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित जोड़ के साथ, और मुनाफे के लिए न्यूनतम विचार करने के बाद की जाती है। ओमान के सार्वजनिक खनन प्राधिकारी, ओमान सल्तनत द्वारा प्रकाशित प्रशासनिक निर्णय संख्या 264/2016 दिनांक 19.12.2016 के आधार पर ओमान से कच्चे जिप्सम का निर्यात मूल्य यूएसडी 12.5 एमटी/ एम टी, चूंकि ओमान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) का हिस्सा है, ओमान से कच्चे जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत को अन्य संबद्ध देशों के लिए भी कच्चे जिप्सम के कच्चे माल की कीमत के रूप में माना जाता है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि ईरान पर प्रतिबंधों के कारण ईरानी जिप्सम के पास बहुत कम निर्यात बाजार है और सहकारी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने केवल भारत को निर्यात किया है। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि कैलक्लाइड जिप्सम के लिए ईरान में घरेलू बाजार भारत की निर्यात की मात्रा की तुलना में बहुत छोटा है। इसलिए धारा 9 क(i) (ग) के अनुसार उनकी घरेलू बिक्री के आधार पर उनके सामान्य मूल्य की गणना नहीं की जा सकती। इसलिए धारा 9क (i) (ग) (ii) (ख) के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की जा सकती है।

घ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ईरान से एक मात्र भागीदार निर्यातक मैसर्स नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी ईरान में खदानों का मालिक है जहां से प्राथमिक कच्चा माल जिप्सम निकाला जाता है। ऐसी स्थिति में, यह काफी संभावना है कि खानों से जिप्सम को निकालने की लागत का कम मूल्यांकन किया गया है और उक्त कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप नहीं है, इसलिये उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि कच्चे जिप्सम के सामान्य मूल्य की गणना करते समय, कृपया इसके उचित मूल्य पर विचार करें।

ड. ओमान के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है जहां कच्चे जिप्सम एमटी से नीचे निर्यात नहीं किया जा सकता। इस /अमरीकी डालर 12.5 को ईरान से (प्राथमिक कच्चा माल) च्चे जिप्सम की कीमतों से कम कीमतों निर्यात संयक और कीमत नियंत्रण के कारण ओमान में उत्पादकों को क पर कच्चा जिप्सम उपलब्ध हो गया है।

च. ईरान के लिए सामान्य मूल्य ओमान के समान होगा क्योंकि ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के समान भौगोलिक क्षेत्र में है और उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण (मध्य पूर्व), ओमान से कच्चे जिप्सम की न्यूनतम निर्यात कीमत ईरान के लिए भी सबसे अधिक एवं उपयुक्त मानक कीमत होगी।

छ. घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं और आयात आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक संबद्ध देश का भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का हिस्सा है और इसल प्रतिशत से अधिक 3िए, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से आयात मात्रा से संबंधित अनुरोध खारिज करने योग्य हैं।

ज. निर्यात मूल्य की गणना लेन-देनवार डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों के आधार पर की जाती है। इसके अलावा आवेदक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह संचालन और निकासी शुल्क, बैंक शुल्क, कमीशन, क्रेडित लागत में कटौती की है।

झ. डीजीसीआईएंडएस के आयात डेटा के साथसाथ घरेलू उद्योग द्वारा खरीदे गये निजी स्रोत के आयात आंकड़ों - केअनुसार, यह दर्शाता है कि सभी संबद्ध देशों से आयात अर्धपर हैं और इसलिए आयात के संबंध स्तर से ऊ- में हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ञ. चूंकि ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से कोई सहयोग नहीं मिला है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पाटन अंतर और क्षति अंतर की गणना नियम 6(8) के अनुसार प्राधिकारी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर की जानी चाहिए।

च2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

32. जांच के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. आवेदक ने निवेश लागत के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत का निर्माण किया है जो जांच की अवधि से संबंधित नहीं है, और प्रत्येक संबद्ध देशों से अलग है।

ख. आवेदक ने सामान्य मूल्य की सीमा का भी खुलासा नहीं किया है और प्राधिकारी की सहायता केलिए ऐसे दावों पर कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।

ग. आवेदक ने निर्यात कीमत से अत्यधिक समायोजन का दावा किया है जिसका स्पष्ट रूप से कम निर्यात कीमत दिखाने का इरादा भी है।

घ. आवेदन में पाटन और क्षति अंतर के दावे अत्यधिक अतिरंजित प्रतीत होते हैं और प्रासंगिक और लागू तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

ड. प्राधिकारी को भाग लेने वाले उत्पादकोंनिर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराये गए सामान्य मूल्य और निर्यात / रना चाहिए।कीमत के लिए प्रासंगिक वास्तविक आंकड़ों पर विचार क

च. प्राधिकारी इस अनुरोध में उत्पादकनिर्यातक के लिए व्यक्तिगत पाटन और क्षति अंतर का निर्धारण कर सकते / हैं जिन्होंने निर्धारित इक्यूआर दाखिल किया था।

छ. यह अनुरोध किया जाता है कि ओमान के अधाकारिक आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात बहुत ही नगण्य है, इसलिए ओमान के खिलाफ तत्काल जांच तुरंत समाप्त कर दी जानी चाहिए क्योंकि कुल आयात में उनका का हिस्सा निर्धारित स्तर से भी नीचे है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसी तरह के तर्क दिये।

ज. आवेदक ने सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए न केवल अवास्तविक जानकारी का उपयोग किया है बल्कि अप्रचलित जानकारी का भी उपयोग किया है जो जांच की अवधि के बाहर पुराने जानकारी दिखाती है जैसा कि में कच्चे माल की कीमतें। 2016

झ. ईरान के निर्माताउन्होंने प्रारूप के अनुसार सभी संबंधित और निर्यातक ने अनुरोध किया है कि चूंकि/ असंबंधित के लिए पूरी जानकारी दाखिल की है इसलिए आंकड़ों के आधार पर उनके पाटन अंतर और क्षति अंतर की गणना की जानी चाहिए।

ञ. निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि यह एक निराधार आरोप है कि खदान के मालिक होने/ईरान के निर्माता का, यदि कोई हो, इसका अर्थ बाजार विशेष की स्थिति से है। इसके अलावा, उन्होंने प्राधिकारी से उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की गणना करने का अनुरोध किया है।

ट. कंपनी की उत्पादन लागत संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी लागत को उचित रूप से दर्शाती है और याचिकाकर्ताओं के दावों का कोई मतलब नहीं है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

च3.1. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

सामान्य मूल्य गणना

33. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः -

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

34. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जानकारी प्रदान करने की सलाह दी गई। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके वर्तमान जांच में भाग लिया है:

क. ग्लोबल जिप्सम बोर्ड सीओ एलएलसी

ख. नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कं., ईरान

ग. बिल्डन वर्ल्ड यूएई (एफजैडई)

घ. रॉक वर्ल्ड एफजेडसी, यूएई

ड. बिल्डन प्लास्टरस प्रालिमिटेड .

च. बिल्डन

35. जहां तक ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आयात की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की जांच की है और पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सेआयात 3 प्रतशित की निर्धारित सीमा से अधिक है इसके अलावा प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स डेटा से आयात प्रतिशत से संबंधित अनुरोधों की सत्यता की भी जांच की है।

36. जहां तक ओमान के एक निर्यातक मैसर्स ग्लोबल जिप्सम बोर्ड सीओ एलएससी द्वारा दायर किये गए उत्तर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दायर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर बहुत ही कम था। उक्त निर्यातक से अनुरोध किया गया था कि वह निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जवाब दाखिल करें। तथापि, मैसर्स ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी द्वारा कोई सूचना दाखिल नहीं की गई थी। इसलिए पर्याप्त जानकारी के अभाव में प्राधिकारी मैसर्स ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कंपनी एलएलसी द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करते हैं।

37. तथापि, मैसर्स ग्लोबल जिप्सम बोर्ड सीओ एलएलसी द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त निर्यातक ने भारत को लगभग *** एमटी पीयूसी निर्यात करने का दावा किया है। इसलिए ओमान से नगण्य आयात के संबंध में दावा अस्वीकार किया जाता है।

38. केवल नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी और इससे असंबंधित निर्यातकों ने आवश्यक डेटा प्रदान किया है और इसलिए प्राधिकारी ने सहयोग उत्पादक और निर्यातक द्वारा दी गई जानकारी की जांच की है। ईरान और अन्य संबद्ध देशों के अन्य सभी निर्यातकों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर किया जाता है।

च.3.2 सामान्य मूल्य

मैसर्स नगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी, ईरान (निर्माता(, मैसर्स बिल्डन वर्ल्ड(एफजेडई), यूएई (निर्यातक) और मैसर्स रॉक वर्ल्ड एफजेडसी, यूएई(निर्यातक)

39. सहयोगी उत्पादक और निर्यातक ईरान द्वारा दायर किए गए आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी ईरान से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में दो असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। जिनका नाम बिल्डन वर्ल्ड एफजेडई और रॉक वर्ल्ड एफजेडसी है। यह नोट किया जाता है कि बिल्डन वर्ल्ड एफजेडई ने भारत में अपने संबंधित आयातक अर्थात बिल्डॉन और असंबंधित ग्राहकों दोनों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया।

40. उपरोक्त पक्षों के प्रश्नावली उत्तरों की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि प्रतिवादी उत्पादक ने व्यापार परीक्षण के अनिवार्य सामान्य पाठ्यक्रम के लिए लागत डेटा के साथ संबंधित परिशिष्टिों में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री मूल्य का विवरण प्रदान किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने घरेलू बाजार में केवल ***एमटी संबद्ध सामान बेचा है, जो भारत में किए गए निर्यात संबद्ध वस्तु का केवल *** है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी द्वारा की गई घरेलू बिक्री, भारत को किए जाने वाले निर्यात की मात्रा से तुलना करने पर इसकी मात्रा काफी अपर्याप्त है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई घरेलू बिक्री को विचाराधीन नहीं रखा जा सकता।

41. यह भी नोट किया जाता है कि कंपनी ने तीसरे देशों को निर्यात नहीं किया है और इसलिए एक उपयुक्त तीसरे देश को उप-वस्तुओं की सामान्य बिक्री के उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

42. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के लिए सामान्य मूल्य धारा 9क (i) (ग) (ii) (ख) के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:

"(ख)उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

43. तद्नुसार, प्राधिकारी ने उचित लाभ के साथ ईरान में सहयोगी उत्पादक और निर्यातक की उत्पादन लागत के आधार पर नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसका उल्लेख नीचे पाटन अंतर तालिका में किया गया है।

ईरान के सभी उत्पादकों निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य/

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। ईरान में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन अंतर तालिका में दिया गया है।

ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य सभी उत्पादकों निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य/

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित मूल्य को नीचे पाटन अंतर तालिका में दिया गया है।

च.3.3 निर्यात मूल्य

46. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण हितबद्ध पक्षों द्वारा उनके संबंधित प्रश्नावली उत्तरों में उपलब्ध कराये गए लेन-देनवार आयात आंकड़ों के आधार पर माल ढुलाई, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह संचालन और निकासी शुल्क,

बैंक शुल्क, कमीशन, क्रेडित लागत के समायोजनों पर विचार करने के बाद किया है, तद्नुसार कारखानागत निर्यात कीमत की गणना की गई है तथा नीचे दी गई तालिका में इसका उल्लेख किया गया है:

मैसर्स नगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी, ईरान (निर्माता), मैसर्स बिल्डन वर्ल्ड(एफजेडई), यूएई (निर्यातक) और मैसर्स रॉक वर्ल्ड एफजेडसी, यूएई(निर्यातक)

47. सहयोगी उत्पादक और निर्यातक ईरान द्वारा दायर किए गए आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि नेगिस पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी ईरान से संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है जो कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में दो असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से, बिल्डन वर्ल्ड एफजेडई और रॉक वर्ल्ड एफजेडसी, भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि वर्ल्ड एफजेडई ने भारत में अपने संबंधित आयातक अर्थात बिल्डन प्लास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक वर्ल्ड एफजेडसी को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में अपने संबंधित आयातक अर्थात बिल्डन और असंबंधित ग्राहकों दोनों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। जैसा कि उल्लेख किया गया है सभी संस्थाओं द्वारा उत्तर दाखिल किया गया है और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उस पर विचार किया गया है।

48. बिल्डन वर्ल्ड एफजेडई और रॉक वर्ल्ड एफजेडसी द्वारा दायर किए गए जवाब से आगे यह नोट किया गया कि कंपनियों ने नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी और कुछ अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। तथापि, नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी के अलावा अन्य उत्पादकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इसे ध्यान में रखते हुए केवल नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर बिल्डन वर्ल्ड एफजेडई और रॉक वर्ल्ड एफजेडसी के मामले में कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है।

49. प्रश्नावली के जवाबों के अनुसार नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान बिल्डन वर्ल्ड एफजेडई के माध्यम से ***एमटी संबद्ध वस्तु और रॉक वर्ल्ड एफजेडसी के माध्यम से ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने समायोजन की अनुमति दी है, जैसा कि निर्यातक द्वारा अंतर्देशीय भाड़ा और पत्तन व्यय के कारण दावा किया गया है। अन्य समायोजनों अर्थात् निर्यात प्रोत्साहनों के संबंध में, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि सरकार द्वारा भुगतान किया गया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों और प्राधिकारी के निरंतर अभ्यास के अनुसार उक्त समायोजन की अनुमति नहीं दी गई है।

50. उसके बाद, सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के लिए निवल निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है और इसे नीचे तालिका में दिखाया गया है।

ईरान से अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये निर्यात मूल्य

51. यह नोट किया जाता है कि ईरान के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने निर्यात मूल्य निर्धारित किया है और ऐसे अन्य उत्पादकों/निर्यातकों को नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटन अंतर तालिका में परिकलित और उल्लेखित किया है।

ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

52. यह नोट किया जाता है कि ओमान, सऊदी अरब, और संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के उत्पादकों/निर्यातकों ने असहयोग को प्राथमिकता दी है। ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजन के बाद डीजीसीआईएंडएस में रिपोर्ट किए गए आयातों के आधार पर किया गया है। तद्नुसार, निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन अंतर तालिका में दी गई है।

च.3.4. पाटन मार्जिन

53. उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन अंतर का निर्धारण पाटन अंतर तालिका में नीचे दिया जाता है:

देश	निर्माता	सामान्य मूल्य/सीएनवी (यूएस डा./एमटी)	निर्यात कीमत यूएस) (एमटी/.डा	पाटन अंतर यूएस डाएमटी/.	पाटन अंतर %	पाटन अंतर रेंज
ईरान	नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग कंपनी	***	***	***	***	100-110
	अन्य	***	***	***	***	340-350
ओमान	सभी निर्माता	***	***	***	***	290-300
सऊदी अरब	सभी निर्माता	***	***	***	***	370-380
संयुक्त अरब अमीरात	सभी निर्माता	***	***	***	***	310-320

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन अंतर न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी हैं।

छ. क्षतिएवं कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन :

छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध:

55. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

क. वर्ष 2015-16 को छोड़कर आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में निर्बाध रूप से बढ़ोतरी को दर्शाया है;

ख. आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान भारत में खपत/मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से में बढ़ोतरी हुई।

ग. संबद्ध वस्तुओं की स्पष्ट खपत/मांग में क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

घ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव काफी प्रतिकूल रहा है।

ड. उत्पादन में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा यह दर्शाते हुए वर्ष 2017-18 में 232 प्रतिशत से बढ़कर पीओआई में 264.4 प्रतिशत हो गया है कि आयातों में न केवल निर्बाध रूप से बढ़ोतरी हुई है, अपितु मांग एवं घरेलू उत्पादन के संदर्भ में भी बढ़ोतरी हुई है।

च. समग्र रूप से संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य आधार वर्ष अर्थात 2016-17 में 4082 एमटी से गिरकर पीओआई के दौरान 3778 एमटी हो गया है। अतएव, आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम है, परिणामस्वरूप पीओआई के दौरान कीमत सकारात्मक रही एवं कीमत में यथेष्ट कटौती हुई।

छ. यहां तक कि आयातों के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के एनआईपी से काफी कम है, इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हो रही है। पीओआई के दौरान सभी संबद्ध देशों से सस्ती कीमत पर बिक्री की जा रही है।

ज. घरेलू उद्योग को पारिश्रमिक स्तरों तक अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका जा रहा है और उससे यह सिद्ध किया जा रहा है कि घरेलू उद्योग की कीमतें प्रतिबंधित/दबाव की स्थिति में हैं।

झ. मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद क्षमता उपयोग बहुत ही कम स्तर पर रहा।

ञ. क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में 226738 एमटी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में केवल 58224 एमटी की ही बढ़ोतरी हुई, जो यह दर्शाता है कि मांग के यथेष्ट भाग केवल आयातोंसे ही पूरा होता है।

ट. जबकि क्षति अवधि के दौरान स्पष्ट खपत में बढ़ोतरी हुई, परन्तु घरेलू उद्योग के बाजार हिस्सेमें गिरावट हुई और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में काफी बढ़ोतरी हुई।

ठ. पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता प्रति एमटी और नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ तथा ब्याज पूर्व लाभ नकारात्मक थे। अतएव, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

ड. मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सामान-सूची में काफी बढ़ोतरी हुई।

ढ. पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान उत्पादकतामें बढ़ोतरी हुई है।

ण. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या समान रही है।

त. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की वजह से घरेलू उद्योग द्वारा कीमत कम की गई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से मौजूदा पाटनरोधी शुल्क रद्द कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की संभावित स्थिति यह हो सकती है।

थ. लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नियोजित पूंजी पर लाभ, बाजार हिस्सा जैसे मापदण्ड निरंकुश होने पर भी काफी प्रतिकूल थे। उत्पादन और घरेलू बिक्रियों के मामले में विकास होने के बावजूद घरेलू उद्योग कीहानियां संबद्ध देशों से कम मूल्य के पाटित आयातों की वजह से जारी रहीं।

द. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के लिए किसी अन्य कारक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

छ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

56. घरेलू उद्योग को हुई हानियों के संबंध में अनुरोध और उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकर्ताओं/अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच अवधि के दौरान बनाए गए कारणात्मक संबंध एवं प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए अनुरोध नीचे दिए अनुसार है:-

क. घरेलू उद्योग को मात्रा एवं कीमत संबंधी कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, नियमावली के अनुबंध II(iv) में यथा परिकल्पित क्षति संबंधी मापदण्डों में कोई गिरावट नहीं हुई है। यह भी अनुरोध किया है कि पीओआई और तत्काल पूववर्ती वर्ष के बीच में कुछ गिरावट आयी है, परन्तु यह इतनी अधिक नहीं है। पाटित आयातों के प्रभावों की स्थिति में याचिकाकर्ता को मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों में ऐसी समग्र वृद्धि प्राप्त नहीं कर लेनी चाहिए थी।

ख. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी जैसे बहुत से कारकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ग. मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में स्पष्ट गिरावट इस वजह से हुई है कि समग्र मांग में वृद्धि हुई और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता नहीं होती है।

घ. आधार वर्ष 2016/2017 की नकारात्मक वित्तीय स्थिति यह दर्शाती है कि क्षति अवधि से पूर्व आवेदक आयातों की अपेक्षा क्षति के अन्य कारणों की वजह से पहले से ही पीड़ित हो रहा था। यह भी अनुरोध किया है कि पीओआई और तत्काल पूववर्ती वर्ष के बीच में मापदण्डों में हुई गिरावट को किसी प्रकार से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ लिंक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आवेदक के दावों के अनुसार जब कीमत में कटौती 70-90 प्रतिशत के बीच थी, तब आधार वर्ष में हानि अधिकता थी और जब कीमत में कटौती पीओआई में 80-100 प्रतिशत के बीच अधिक रेंज में थी, तब हानियों में कमी आयी थी।

ड. एक अवधि के दौरान विक्रय मूल्य 92 प्वाइंट से बढ़कर 98 प्वाइंट हो गए थे, जो यह दर्शाता है कि पीओआई और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मापदण्डों में हुई कमी को संबद्ध देशों से हुए आयातों के पहुंच मूल्य के साथ लिंक नहीं कया जा सकता है। यह भी अनुरोध किया है कि जब याचिकाकर्ता पीओआई अर्थात तत्काल

पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी कर सका, तब मात्रा संबंधी मापदण्ड में हल्की सी गिरावट आयातों की मात्रा के अलावा अन्य मापदण्डों की वजह से भी होनी चाहिए।

च. आधार वर्ष के दौरान नकद प्रवाह और रोजगार में सुधार हुआ, तो याचिकाकर्ता को क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने में कठिनाई नहीं हुई थी तथा पीओआई समेत क्षति अवधि में क्षमता में दो बार बढ़ोतरी की गई थी।

छ. संबद्ध देशों के पहुंच मूल्य के साथ कथित क्षति को लिंक नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब कीमत में कटौती उच्चतम स्तर पर थी, तब हानि में ही कमी हुई थी।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे पहुंच मूल्य की स्थिति में याचिकाकर्ता ने कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की होगी तथा लाभप्रदत्ता में भी बढ़ोतरी नहीं हुई होगी।

झ. याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत 100 आधार प्वाइंट से 218 प्वाइंट तक काफी बढ़ी थी, जो यह दर्शाती है कि पीओआई में लागत दुगुनी से ज्यादा हो गई जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्राधिकारी के द्वारा विस्तृत जांच की जानी होती है।

ञ. गैर-उत्तरदायी विश्लेषण के बारे में आवेदन में पर्याप्त आंकड़े नहीं थे।

ट. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आधारित संभव निष्कर्ष केवल यह है कि याचिकाकर्ता को नियमावली में यथा परिकल्पित कोई क्षति नहीं हुई थी तथा याचिकाकर्ता को भारत में उत्पाद की मांग बढ़ाने के लिए पूरा लाभ प्राप्त हुआ था।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच :

57. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी, जो ''... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...'' घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाए।

58. घरेलू उद्योगे पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव काक जहां तक संबंध है, नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iv) में निम्नानुसार बताया है:-

'' (iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावकी जांच में सभी प्रासंगित आर्थिक कारक और उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा जिसमें बिक्री, लाभों, उत्पादन, बाजार हिस्सा, निवेश पर लाभ अथवा क्षमता उपयोग में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट के कारक; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, सामान सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की सामर्थ्य पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल होते हैं।

59. डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान उत्पादों के लिए कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी द्वारा यह जांच करनी होती है कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत के बारे में या तो निर्बाध रूप से अथवा सापेक्ष रूप में पाटित आयातों में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के बारे में प्राधिकारी के द्वारा यह जांच करनी होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में काफी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी हद तक कीमतों पर दबाव डालना है अथवा कीमत में बढ़ोतरी को रोकना है, जो काफी हद तक अन्यथा हुई होंगी। वर्तमान क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत संबंधी प्रभावों के बारे में क्षति होने और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई है, की जांच करने के लिए कीमतों और लाभप्रदत्ता पर इसके प्रभाव की जांच की है।

60. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण का हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वत: ही समाधान हो जाता है।

61. निमावली के अनुबंध-III, पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि जिस मामले में एक से अधिक देश से एक उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांच के साथ-साथ अध्यधीन हो रहे हो, ऐसे मामले में प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यचदि यह निर्धारित करते हैं कि:-

क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में सुनिश्चित किए गए पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में दो प्रतिशत अधिकहो और प्रत्येक देश से आयातों कीमात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) हो अथवा जहां पर अलग-अलग देशों के निर्यात तीन प्रतिशत से कम हों, तो सामूहिक रूप से आयात, समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक होता है, और

ख) आयात किए गए उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पादों केबीच में प्रतिस्पर्धा की शर्तों के संदर्भ में आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उचित है।

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अधीन निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है।

ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा एक-एक करके आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग) आयातों के प्रभावों के संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों सेनिर्यात उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत की गई समान वस्तु से न केवल प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपितु भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह नोट किया है कि जो उपभोक्ता घरेलूउद्योग से खरीद कर रहे हैं वे संबद्ध देशों से भी आयातकर रहे हैं।

63. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करने के लिए इसे उचित मानते हैं।

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों तथा प्रति-तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण का हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वत: ही समाधान हो जाता है।

65. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है तथा रिकॉर्ड एवं लागू कानूनों में उपलब्ध तथ्यों के बारे में विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। यह जरूरी नहीं है कि क्षति के सभी मापदण्ड विकृति को दर्शाते हों। कुछ मापदण्ड विकृति को दर्शाते हैं, जबकि कुछ अन्य न दर्शाते हों। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने क्षति संबंधी मापदण्डों की वस्तुपरक जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किएगए क्षति विश्लेषणसे सभी चिन्ताओं के बारे में स्वत: ही समाधान हो जाता है।

66. घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता नहीं होती है, इस दावे के संबंध में यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग अन्त: अधिकतम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है। इसलिए, संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करने में क्षमता एक बाधा नहीं है।

67. क्षमता उपयोग, निवल बिक्री वसूलियां, नकद प्रवाह, रोजगार और क्षति संबंधी अन्य मापदण्डों के विषयों के बारे में निम्नलिखित पैराग्राफ में विश्लेषण किया है।

छ.3.1. पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव:

क. ग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

68. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में भारतीय उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर विचार किया है।

विवरण	**यूओएम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**पीओआई**
ईरान से आयात	एमटी	87831	119358	82607	21030
ओमान से आयात	एमटी	10773	15094	29457	45122
सऊदी अरब से आयात	एमटी	6865	23597	31654	24738
संयुक्त अरब अमीरात से आयात	एमटी	17145	43345	102905	177623
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	122614	201395	246623	268513
अन्य देशों से आयात	एमटी	8152	3303	11887	11768
कुल आयात	एमटी	130766	204697	258511	280281
डीआई की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	204	251	237
अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	203	141	130
कुल घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	203	185	173
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	178	192	196

69. उपर्युक्त सारणी से यह नोट किया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग आधार वर्ष में सूचीबद्ध 100 प्वाइंट से बढ़कर पीओआई में 196 प्वाइंट हो गई है।

ख. आयात मात्रा और बाजार हिस्से

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह विचार करना होता है कि पाटित आयातों में या तो निर्बाध रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईऐंडएस से प्राप्त किए गए लेन-देनवार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। वास्तविक स्थिति नीचे दिए अनुसार है:-

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**पीओआई**
संबद्ध देशों से आयात (एमटी)	122614	201395	246623	268513
अन्य देशों से आयात (एमटी)	8152	3303	11887	11768
कुल आयात (एमटी)	130766	204697	258511	280281
आयातों में संबद्ध देशों की शेयर प्रतिशतता	93.8%	98.39%	95.40%	95.80%
कुल मांग (एमटी)	***	***	***	***
मांगके संबंध में आयात				

मांग में संबद्ध देशों की शेयर प्रतिशतता	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	93	105	112
उत्पादन के संबंध में आयात				
घरेलू उत्पादन (एमटी)	***	***	***	***
उत्पादन में संबद्ध देशों की शेयर प्रतिशतता	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	81	80	92

71. यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा ने आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान निर्बाध रूप से पर्याप्त बढ़ोतरी को दर्शाया है। यह भी नोट किया है कि आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान भारत में खपत/मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से में भी बढ़ोतरी हुई।

छ. 3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

72. नियमावली के अनुच्छेद II(ii) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह विचार करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत के साथ तुलना करने पर पाटित आयातों से कीमत में काफी कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक कीमतों पर अन्यथा दबाव डालना है अथवा कीमत में बढ़ोतरी को रोकना होता है, जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में कीमत कटौती, कीमत पर प्रतिबंध और कीमत दबाव यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है।

(क) कीमत में कटौती

73. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत विक्रय मूल्य, सभी छूट एवं करों की निवल राशि के बीच में व्यापार के उसी स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का कारखानागत स्तर पर निर्धारण किया गया था:

विवरण	**यूओएम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रु./एमटी	4082	3711	3878	3778
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	91	95	93
घरेलू विक्रय मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	92	92	98
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	80-90	80-90	70-80	90-100

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में सकारात्मक एवं पर्याप्त कटौती हुई।

75. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात समग्र रूप से घरेलू उद्योग के घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर आ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में सकारात्मक कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अलग-अलग सभी संबद्ध देशों से भी कीमत में कटौती सकारात्मक है। इसे नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है:

विवरण-पीओआई	यूओएम	ईरान	ओमान	सऊदी अरब	यूएई
पहुंच मूल्य	रु./एमटी	3875	3986	3579	3741
घरेलू बिक्री मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	80-90	80-90	100-110	90-100

76. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों की इस उत्साही कीमतों की वजह से घरेलू उद्योग अपनी बिक्री मात्रा और बाजार हिस्से में बढ़ोतरी नहीं कर सका था। इसके अलावा, वे अपनी पूरी लागत की वसूली भी नहीं कर सके थे। इसके अलावा, घरेलू उद्योग तथा अन्य उत्पादक इस किस्म की यथेष्ट कीमत कटौती से अपने बाजार हिस्से को खो रहे हैं।

ख. कीमत ह्रास नीकरणन्यू/

77. क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक कीमतों को प्रतिबंधित करने के लिए अथवा कीमत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए है जो काफी हद तक हुई होगी, इसका निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने क्षति-अवधि के दौरान लागतों और कीमतों तथा पहुंच मूल्य में हुए परिवर्तनों के बारे में विचार किया। स्थिति नीचे दी गई सारणी के अनुसार है:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रु./एमटी	4082	3711	3878	3778
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	95	93
घरेलू विक्रय मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	92	98
लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	75	92

78. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है । इसके अलावा, पहुंच मूल्य में गिरावट के कारण बाजार में उत्पाद की कीमतों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।

छ. 3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदण्ड:

79. नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षा है कि क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच करना शामिल होगा। नियमावली में यह भी व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्रियों, लाभों, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति के बारे में सभी प्रासंगिक आर्थिक कारक और सूचकांक, नकद प्रवाह, सामान सूचियों, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की

सामर्थ्य पर वास्तविक एवं संभव नकारात्मक प्रभावों के बारे में वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के विभिन्न मापदण्डों के बारे में नीचे विचार-विमर्श किया है:-

80. हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने क्षति संबंधी मापदण्डों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग:

81. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिए अनुसार है:-

विवरण	**यूओएम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
क्षमता (एमटी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	132	148	148
कुल उत्पादन (एमटी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	199	245	232
क्षमता उपयोग (एमटी)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	151	166	157
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	204	251	237

82. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2018-19 के बाद से घरेलू उद्योग की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में आधारवर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान इसमें गिरावट हुई है। इसके अलावा, मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग कम स्तरों पर रहा। यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वर्ष 2018-19 तक बढ़ोतरी हुई और उसके बाद में गिरावट हुई।

(ii) बाजार हिस्सा:

83. कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की नीचे दिए अनुसार जांच की गई है:-

	यूओएम	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**पीओआई**
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	178	192	196
मांग में कुल घरेलू बिक्रियों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	115	96	88
मांग में संबद्ध देशों का प्रतिशत हिस्सा	%	***	***	***	***

84. उपर्युक्त से यह नोट किया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की, जबकि मांग में बढ़ोतरी हुई, परन्तु आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट हुई। साथ ही, संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में बढोतरी हुई।

(iii) लाभ, निवेश पर लाभ और नकद लाभ:

85. क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार के लाभों, निवेश पर लाभ और नकद लाभों के बारे में नीचे सारणी में दिया गया है:-

विवरण	**यूओएम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
विक्रय मूल्य/यूनिट	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	92	98
लागत/यूनिट	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	75	92
लाभ/हानि प्रति यूनिट	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	59	25	-52
मूल्य ह्रास	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	116	152
नकद लाभ लाख रु.	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	848	610	-36
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	417	245	-13
नियोजित पूंजी पर लाभ (ओओसीई)	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	137	68	-127

86. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता अत्यधिक प्रभावित हुई है।

87. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट हुई है। पीओआई के दौरान आरओसीई नकारात्मक रहा है। घरेलू उद्योग की प्रति एमटी लाभप्रदत्ता, और नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभों तथा ब्याज पूर्व लाभ नकारात्मक थे।

(iv) सामान-सूचियां

88. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की सामान सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी है:-

विवरण	**इकाई**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**पीओआई**
सामान-सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	168	246	454

89. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सामान-सूची में पीओआई के दौरान भरपूर बढ़ोतरी हुई।

V. रोजगार, उत्पादकता:

90. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरियों तथा उत्पादकता संबंधित सूचना की नीचे दिए अनुसार जांच की है:-

वर्ष	2014-2015	2015-2016	2016-2017	पीओआई
उत्पादन (एमटी)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	204	252	238
कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	102	93	95
उत्पादन/कर्मचारी	***	***	***	***
Trend	100	200	269	251

91. उपर्युक्त सारणी से यह नोट किया गया है कि-

क. पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है।

ख. यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित किएगए कर्मचारियों की संख्या क्षति जांच अवधि के दौरान लगभग समान ही रही है।

Vi. पाटन की मात्रा:

92. यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से भारत में आयात पाटित कीमतों पर आ रहे हैं और पाटन मार्जिन सकारात्मक है तथा न्यूनतम सीमा से अधिक तथा पर्याप्त मात्रा में भी हैं।

Vii. वृद्धि:

93. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है। यह देखा गया है कि कई मात्रा और कीमत मानकों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक थी ।

94. यह नीचे सारणी में दर्शाया है -:

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
डीआई की घरेलू बिक्रियां	-	***	***	***
डीआई का उत्पादन	-	***	***	***
क्षमता उपयोग	-	***	***	***
मांग में डीआई का बाजार हिस्सा	-	***	***	***
लाभ और हानि	-	***	***	***
नकद लाभ	-	***	***	***
आरओसीई	-	***	***	***

छ.3.4 घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

95. जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध वस्तुओं की भारत में मांग होना घरेलू उद्योग के विकास का एक सीमित कारक नहीं है। संबद्ध देशों से आयात कीमतें घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। यह

भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के साथ-साथ बिक्री मूल्य से भी कम है।

96. इसके अलावा, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है। संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात बहुत कम है और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने का दावा नहीं किया जाता है।

छ.3.5 क्षति मार्जिन की मात्रा:

97 प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का जांच अवधि की उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को स्वीकार करके निर्धारण किया गया है। घरेलू उद्योग की एनआईपी निकाली गई है तथा क्षति मार्जिन (आईएम) की गणना करने के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच मूल्य (एलपी) के साथ इसकी तुलना की गई है।

क्षति मार्जिन सारणी

देश	उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (यूस डॉ./एमटी)	पहुंच मूल्य (यूस डॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन (यूस डॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % (रेंज)
ईरान	नेगिन फ्लाट	***	***	***	***	120-130
	अन्य	***	***	***	***	250-260
ओमान	सभी उत्पादक	***	***	***	***	110-120
सऊदी अरब	सभी उत्पादक	***	***	***	***	130-140
यूएई	सभी उत्पादक	***	***	***	***	120-130

98. यह नोट किया है कि पीओआई का सभी संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों के साथ ही सभी उत्पादकों के लिए भी क्षति मार्जिन सकारात्मक और भरपूर है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-उत्तरदायी विश्लेषण:

99. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वस्तुत: क्षति एवं पाटन के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए नियमावली के अन्तर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों को नोट किया है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति कर सकते थे।

ज.1 गैर-उत्तरदायी विश्लेषण:

100. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकने वाले अन्य ज्ञात कारकों के संबंध में निम्नलिखित नोट करते हैं:

क अन्य स्रोतों से आयात

101. संबद्ध देशों के अलावा स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात न्यूनतम सीमा से कम हैं। इसलिए यह देखा गया है कि अन्य देशों से हुए आयतों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ख मांग में कमी

102. भारत में विचाराधीन उत्पादों के लिए मांगमें कोई कमी नहीं है।

ग खपत के पैटर्न में परिवर्तन

103. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए खपत के पैटर्न में परिवर्तनों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारक नहीं माना जा सकता है।

घ विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार संबंधी प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और उनके बीच परतिस्पर्धा:

104. ऐसी कोई व्यापार संबंधी प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।

ड प्रौद्योगिकी में विकास

105. संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतएव, प्रौद्योगिकी में हुए विकासों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

च निर्यात संबंधी निष्पादन:

106. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहा है। इसलिए घरेलू प्रचालनों की वजह से ही क्षति हुई।

छ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन:

107. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग को क्षति होना संभव नहीं है।

क्षति एवं कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

108. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में उसी अवधि में गिरावट आई है।

ग) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, कीमत कटौती से बाजार में उत्पाद की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़े हैं।

घ) यहां तक कि यद्यपि उत्पादन और घरेलू बिक्री में पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथापि क्षमता उपयोग कम और ईष्टतम से कम रहा है।

ड) घरेलू उद्योग की बिक्री संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के फलस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ जैसे कीमत संबंधी आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक रही।

च) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण हुए मात्रात्मक और कीमत प्रभावों में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। यह भी नोट किया जाता है कि लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक हो गए हैं।

109. इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

110. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:-

क) ओमान सल्तन की सरकार को अनुच्छेद 5.5 के उल्लंघन में जांच की शुरुआत से पूर्व कोई आशय पत्र और उनकी अक्टूबर, 1998 को पाटनरोधी परिपाटी संबंधी समिति द्वारा अपनाई गई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई।

ख) प्रकटन विवरण अत्यधिक गोपनीय है और इससे तथ्यों की उपयुक्त समझ प्राप्त नहीं होगी।

ग) यह कि मैसर्स ग्लोबल जिप्सम बोर्ड कं. एलएलसी ने बहुत सी सूचनाएं दायर की हैं और उसके आधार पर उनका उत्तर रद्द नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें अलग शुल्क दिया जाना चाहिए।

घ) आयातित जिप्सम की गुणवत्ता बहुत अच्छी है क्योंकि सीएएसओ4 का आयातितत प्रतिशत 80 से 95 प्रतिशत के बीच है और घरेलू उद्योग उस गुणवत्ता के मेल खाने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, आयातित विचाराधीन उत्पाद शुद्ध और सादा है जबकि घरेलू उद्योग द्वारा बेचा गया उत्पाद सादा और शुद्ध नहीं है। घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद की तुलना में आयातित उत्पाद की ताकत में भारी अंतर है। यहां तक कि घरेलू उद्योग भी कच्ची सामग्री का आयात कर रहा है और इसीलिए वह भी उनकी क्षति में योगदान कर रहे हैं।

ड) जिप्सम व्यापार अनिवार्य रूप से अत्यधिक भारी - कम मूल्य का व्यापार है जिसमें हैंडलिंग और परिवहन लागतें उत्पाद की वास्तविक लागत से अधिक है। अत: परिवहन लागतों पर घरेलू उद्योग पर प्रभाव का विश्लेषण करते समय विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग तथा राजस्थान के अन्य उत्पादकों को उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करता है।

च) यह कि जिप्सम रॉक के लिए 12.5 अमरीकी डॉलर कीमत पर विचार करने के लिए आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पूर्व अवधि का है न कि जांच की अवधि का।

छ) चूंकि यह उद्योग बिखरा हुआ उद्योग है अत: याचिकाकर्ता का भारत में कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बाजार में घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनेगा और इसीलिए शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।

ज) यह कि घरेलू उद्योग को नियमावली के अनुसार कोई क्षति नहीं हो रही है।

झ) आयातकों द्वारा अर्जित लाभ भारत में बनाए रखा जाएगा, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ विदेश में वापस हो जाएगा। भारतीय आयातक आकर्षिक कीमतों पर आयातित जिप्सम प्राप्त कर रहे हैं अत: किसी भी शुल्क से रियल एस्टेट के लिए लागत बढ़ जाएगी और इसीलिए शुल्क लगाया जाना भारतीय आयातकों के हित में नहीं है।

ञ) निर्यात कीमत के संबंध में प्राधिकारी कंपनी की निर्यात कीमत के भाग के रूप में निर्यात प्रोत्साहन पर विचार कर सकते हैं। निर्यात उत्पादन के लिए दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार न करने से उपर्युक्त पक्षकारों के मामले में बहुत अधिक मार्जिन/क्षति मार्जिन हो रहा है जबकि वास्तविकता में कंपनी ने निर्यात प्रोत्साहन को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी निर्यात कीमतें निर्धारित कीं। इस संबंध में, पहले से ही दायर हमारी विस्तृत टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम से पूर्व एक बार फिर से विचार किया जाए।

ट) उपर्युक्तानुसार ईरान के उत्पादक का नाम और उपर्युक्तानुसार संयुक्त अरब अमीरात में आधारित निर्यातकों का नाम शुल्क तालिका में एक उत्पादक-निर्यातक मूल्य श्रृंखला के रूप में उल्लिखित किया जाए क्योंकि उन निर्यातकों जो उस उत्पादक सहित जो संयुक्त अरब अमीरात में आधारित है, जोकि ईरान में है, के नाम उल्लिखित न करने से सीमा शुल्क के स्तर पर आयातकों के लिए काफी कठिनाईयां पैदा हो सकती हैं क्योंकि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इस मामले में संबद्ध देश हैं।

ठ) निर्यातकों और आयातकों ने संदर्भ कीमत शुल्क के लिए अनुरोध किया है ताकि उच्च कीमतों पर सही अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद को दंडित न किया जाए।

ड) इसके अतिरिक्त, संदर्भ कीमत आधारित शुल्क बेहतर वसूली लेने में और संभावित कम बीजक तथा किसी शुल्क को खपाने में घरेलू उत्पादकों के लिए लाभ का होगा, साथ ही इसके ओमान जैसे देश से निर्यातकों को भी आघात नहीं पहुंचेगा।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

111. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) यह कि घरेलू उद्योग गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर ओमान से और भारत के विभिन्न भागों से भी कच्चे जिप्सम की खरीद कर रहा है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि भारत में विभिन्न ग्रेडों के जिप्सम पाए गए हैं जिनमें शुद्धता स्तर 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत शुद्धता के बीच है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग अपने संयंत्र स्थान के आधार पर अपने उत्पादन में भारतीय और आयातित दोनों जिप्सम रॉक का प्रयोग कर रहा है और भारत से अथवा आयातित इनपुट कच्ची सामग्री पर ध्यान न देते हुए अपने जिप्सम प्लास्टर में आईएस मानक को पूरा करते हुए निष्पादन करता है।

ख) यह कि जिप्सम प्लास्टर के लिए आईएस 2547 कोड जिप्सम प्लास्टर की व्यापक ताकत का उल्लेख करता है, उसे 1एन/एमएम2 और सभी जिप्सम प्लास्टर होने की आवश्यकता है, भले ही वे घरेलू अथवा आयातित कच्ची सामग्री के बने हों, आराम से अपेक्षित शक्ति देते हैं। यह भी अनुरोध किया जाता है कि एम्स हास्पिटल तथा प्रस्तावित नए संसद भवन सहित कई प्रतिष्ठित सरकारी परियोजनाओं सहित पूरे उत्तर भारत का बाजार भारतीय जिप्सम का प्रयोग करेगा। इसके मद्देनजर, घटिया ग्रेड से बने भारतीय जिप्सम प्लास्टर से संबंधित तर्क वास्तविक रूप से गलत हैं।

ग) जहां तक बिखरे हुए उद्योग और आधार का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि राजस्थान पीओपी एसोसिएशन जैसे एमएसएमई क्षेत्र में अधिकतर उत्पादकों ने संबद्ध देशों से सस्ते आयातों के अथक प्रयास में पिछले कई वर्षों में अपना काम बंद कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, कई स्थानीय व्यापारियों के आकार में कमी आई है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर और उचित प्रतिस्पर्धा का सहारा लिए जाने पर एमएसएमई क्षेत्र का पुनरुद्धार होगा और इससे व्यापाक पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा।

घ) यह कि ईरान से केवल प्रतिभागी निर्यातक मै. नेगिन पार्स इंडस्ट्रियल ऐंड माइनिंग कंपनी की ईरान में अपनी खाने हैं जहां प्राथमिक कच्ची सामग्री जिप्सम निकाली जाती है और इसीलिए खानों के कच्चे जिप्सम को निकालने की लागत कम लगाई जाती है और वह उपर्युक्त कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप नहीं है और इसलिए वह अनुबंध-I के पैरा 1 के अनुसार विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को उपयुक्त रूप से दर्शाती हुई नहीं कही जा सकती। इसके मद्देनजर उन्होंने उनकी लागत और सामान्य मूल्य को भी स्वीकार न करने का अनुरोध किया है।

ङ) जहां तक प्रकटन विवरण की टिप्पणियों के भाग के रूप में कुछ पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है, घरेलू उद्योग अंतिम जांच परिणाम में उन टिप्पणियों को शामिल किए जाने का विरोध करता है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि डीजीटीआर इतनी देरी के स्तर पर नए अनुरोधों को निरंतर रद्द करता रहा है।

च) यह भी अनुरोध किया जाता है कि गुणवत्ता का मुद्दा पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संपर्क के लिए आधार नहीं माना जा सकता और इसीलिए उसका कोई परिणाम नहीं है। यह बताने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच गुणवत्ता के अंतर उन्हें परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किए जाने से रोकते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह जोर दिया गया है कि आयातित और घरेलू उत्पाद दोनों एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

छ) घरेलू उद्योग यह भी उल्लेख करता है कि यह मानते हुए परन्तु स्वीकार न करते हुए कि आयातित सामानों की गुणवत्ता बेहतर है, इसका कोई कारण नहीं दिया गया है कि वे उन भारतीय उत्पादों से कम कीमतों पर भारतीय बाजारों में क्यों पेश किए जा रहे हैं, जिनको घटिया गुणवत्ता होने का दावा किया गया है। इस प्रकार, जांच के इतनी देरी के स्तर पर कुछ पक्षकारों द्वारा दिए गए विवरण कानूनी तौर पर अथवा औचित्य के आधार पर स्वीकार नहीं किए जा सकते।

ज) घरेलू उद्योग ने संदर्भ कीमत आधारित शुल्क के लिए भी अनुरोध किया है, जिसमें निर्यातकों को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, यदि उनका पहुंच मूल्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित कीमत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और साथ ही बाजार में उचित व्यवहार का उद्देश्य डीजीटीआर द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

112. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा निर्यातक उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर दी गई है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उन्हें पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दे की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

क ओमान सरकार के इस तर्क के संबंध में कि उन्हें अनुच्छेद 5.5 के उल्लंघन में जांच की शुरुआत से पूर्व आशय पत्र और 29 अक्तूबर, 1998 को पाटनरोधी परिपाटी समिति द्वारा अपनाई गई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओमान सल्तनत की सरकार को जांच की शुरुआत से ठीक पहले भारत में उनके दूतावास के माध्यम से 16.10.2020 के ई-मेल द्वारा अग्रिम सूचना भेजी गई थी।

ख प्रकटन विवरण का अगोपनीय रूपांतर लागू नियमावली और डीजीटीआर की सतत् परिपाटी के अनुसार जारी किया गया था।

ग जहां तक ग्लोबल जिप्सम द्वारा दायर उत्तर का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने ग्लोबल जिप्सम को उनके द्वारा दायर उत्तर में संशोधन करने का अवसर दिया था और साथ ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर देने के लिए भी कहा गया था। मै. ग्लोबल जिप्सम द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में कमियों को दूर करते हुए, उनके द्वारा उत्तर प्राप्त न होने के मद्देनजर प्राधिकारी ने मै. ग्लोबल जिप्सम द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर को रद्द किया है।

घ घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर आवेदक का उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को जांच के विरोध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अत: प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।

ड. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद निर्यातकों और प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचारणीय उत्पाद के संबंध में गुणवत्ता संबंधी मुद्दे उठाए हैं। प्राधिकारी को इसी प्रकार के गुणवत्ता संबंधी मुद्दे उठाते हुए मै. ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी, मै. मिलन तन्ना और मै. वंश जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड के भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे गुणवत्ता संबंधी मुद्दे प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद पहली बार उठाए गए थे। तथापि, किसी भी उपर्युक्त पक्षकार ने इस संबंध में अपना दावा सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अथवा यह नहीं दर्शाया है कि गुणवत्ता में यदि कोई अंतर है तो उनसे पाटन, क्षति अथवा कारणात्मक संपर्क के संबंध में प्राधिकारी का विश्लेषण कैसे प्रभावित होगा।

च प्राधिकारी ने फिर भी जांच के व्यापक हित में और विशेष रूप से प्रयोक्ता उद्योग के हित में गुणवत्ता के मुद्दे की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा आपूर्त किया गया उत्पाद आईएस 2547 के अनुरूप है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित है। अत: क्योंकि सरकार ने उत्पाद के कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त किया गया उत्पाद उन मानकों के अनुरूप है, अत: उपभोक्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद किस्म वांछित मानकों को पूरा नहीं करती। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त किए गए उत्पाद और भारत में आयातित उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर दर्शाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कुछ भी पर्याप्त आधार नहीं दिया गया है।

छ प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर तथा आयातों के पहुंच मूल्य के आधार पर क्षति निर्धारित की है। अत: ये तर्क कि कोई क्षति नहीं है, गलत है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा सूचना नहीं दी है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

ज निर्यात मूल्य में प्रोत्साहन जोड़ने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 9ए(1)बी के अनुसार,

"निर्यात मूल्य, एक वस्तु के संबंध में, निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र से निर्यात की गई वस्तु की कीमत..."

इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि ईरान के सहकारी उत्पादक और निर्यातक के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उस कीमत के अनुसार किया गया है जिसका भुगतान वस्तु के खरीदार द्वारा किए गए चालान के अनुसार किया गया है। इसलिए, प्राधिकरण ने किसी प्रोत्साहन के कारण किसी समायोजन की अनुमति नहीं दी है। तदनुसार, इस तरह के प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त समायोजन करने के लिए निर्यातक के दावे की अनुमति नहीं है

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

113. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपाय लागू करके कमी नहीं की जाएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन की प्रक्रिया को हटाकर प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, उनमें घरेलू उत्पादकों की गिरावट रुकेगी जो अधिकतर लघु क्षेत्रो से हैं तथा संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सामान्यत: पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनर्स्थापित हो सके, जोकि देश के सामान्य हित में है। अत: पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं होगा और इसलिए इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

114. घरेलू उद्योग के एकाधिकार के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अलावा पूरे देश में भारी संख्या में लघु उत्पादक हैं, जो काफी घरेलू प्रतिस्पर्धा दर्शा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाद की अवधियों में घटनाओं के समाधान के लिए नियमावली के तहत समीक्षा प्रावधान हैं।

115. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के कई उत्पादकों ने संभवत: संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण पिछले कुछ वर्षों में अपना काम बंद कर दिया है।

116. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने से जन हित पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों के संबंध में रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की।

117. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी ताकि उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांचों के संबंध में संगत सूचना प्रदान की जा सके। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की परस्पर परिवर्तनशीलता, स्रोतों को बदलने की घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाकर उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन में तेजी लाने अथवा विलंबित करने की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी है।

118. यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह बताने के लिए प्रपत्र निर्धारित किए थे, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने कोई संगत सूचना नहीं दी है।

119. यह भी नोट किया जाता है यद्यपि छह आयातकों ने जांच में भाग लिया, उनमें से किसी ने भी जन हित के संबंध में कोई विशिष्ट, सिद्ध अथवा सत्यापनीय सूचना अथवा कोई दावा दायर नहीं किया जो प्राधिकारी के किसी विश्लेषण अथवा किसी परिणाम के आधार बन सकें। सूचना और दावों के अभाव के बावजूद, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों को नोट किया है और उन्हें उचित स्थानों पर हल किया है।

ञ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

120. उठाए गए तर्कों, प्राप्त सूचना, किए गए अनुरोधों और इन जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त घरेलू उद्योग को पाटन के निर्धारण और परिणामस्वरूप क्षति के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देशों से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।

ख. संबद्ध उत्पाद के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पूर्ण दृष्टि से और भारत में खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है।

ग. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।

घ. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत के कम है। इसके अतिरिक्त कीमत कटौती के बाजार में उत्पाद की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव हुए हैं।

ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, यद्यपि जांच की अवधि के दौरान बिक्री में तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में आंशिक गिरावट आई। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि में बहुत कम रहा है।

च. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण हुए मात्रात्मक और कीमत प्रभावों से जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक हुई है।

छ. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घेरलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।

ज. हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। चूंकि सिफारिश किया गया शुल्क कमतर शुल्क नियम के आधार पर है, अत: सिफारिश किया गया शुल्क उचित रूप से उपयुक्त है और निचले स्तर के उद्योग पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

झ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरु करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अत: प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

ञ. नियमावली के नियम 4(डी) और नियम 17(1)(बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए और दी गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्कों के निर्धारण/संदर्भ रूप की सिफारिश करना उपयुक्त माना जाता है। प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध

में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों में मूलत: अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित माल के पहुंच मूल्य और नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बीच अंतर के रूप में की जाती है, बशर्ते पहुंच मूल्य से कम हो कॉलम 7 में दर्शाया गया मान। यदि पहुंच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से अधिक है, तो पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के लागू स्तर के अनुसार निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्ष अथवा प्रशुल्क मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	माप की यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2520	कलसाइन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर	ईरान	ईरान सहित कोई देश	नेगिन फ्लाट पर्स इंडस्ट्रियल ऐंड माइनिंग कं.	82.73	एमटी	यूएसडॉलर
2	-वही-	-वही-	ईरान	ईरान सहित कोई देश	क्र 1 .सं.के अलावा कोई अन्य	102.66	एमटी	यूएसडॉलर
3	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई देश	ईरान	कोई	102.66	एमटी	यूएसडॉलर
4	-वही-	-वही-	ओमान	ओमान सहित कोई देश	कोई	117.84	एमटी	यूएसडॉलर
5	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई देश	ओमान	कोई	117.84	एमटी	यूएसडॉलर
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई देश	कोई	117.84	एमटी	यूएसडॉलर
7	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के छोड़कर	सऊदी अरब	कोई	117.84	एमटी	यूएसडॉलर

			कोई देश					
8	-वही-	-वही-	यूएई	यूएई सहित कोई देश	कोई	117.84	एमटी	यूएसडॉलर
9	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई देश	यूएई	कोई	117.84	एमटी	यूएसडॉलर

ट. आगे की प्रकिया

121. इन जांच परिणामों के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अभिकरण के समक्ष की जाएगी।-

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDING

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2021

Case No. AD (OI)- 38/2020

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Calcined Gypsum Powder originating in or exported from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/45/2020 –DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as "the Rules") thereof:

1. M/s. Saint-Gobain India Private Limited, (hereinafter also referred to as "the Applicant" or "the domestic industry" or "the DI") filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as "the Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules") for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Calcined Gypsum Powder" (hereinafter also referred to as "or Gypsum Plaster" or "subject goods"), from Iran, Oman, Saudi Arabia and UAE (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. Whereas the Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the Applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/45/2020 -DGTR dated 29.09.2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in

accordance with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

a) The Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicant on behalf of the domestic industry, alleging dumping of 'Calcined Gypsum Powder' from the subject countries.

b) The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of an anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

c) The Authority issued a public notice dated 29.09.2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject good from the subject countries.

d) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

e) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

f) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

g) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

(i) Global Gypsum Board CO LLC

(ii) Negin Pars Industrial & Mining Co., Iran

(iii) Buildon World (FZE), UAE

(iv) Rock World FZC, UAE

h) The exporter's questionnaire has been filed by the following exporters/producers from the subject countries:

(i) Global Gypsum Board CO LLC

(ii) Negin Pars Industrial & Mining Co., Iran

(iii) Buildon World (FZE), UAE

(iv) Rock World FZC, UAE

i) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

(i) Buildon Plasters Pvt. Ltd.

(ii) Vans Gypsum Pvt Ltd.

(iii) Nkv Home Depot

(iv) Prabha Specialities

(v) Sankhala Brothers

(vi) Metcop Gypsum India Pvt Ltd

(vii) 3 I Shipping And Logistics Pvt Ltd

(viii) Ashtech (India) Pvt. Ltd.

(ix) Bgm Marketing Co. Pvt. Ltd.

(x) Global Trading Co

(xi) Vinayak Gypsum and Interiors Pvt. Ltd

(xii) Indian Trading

j) The following importers have filed their questionnaire responses:

(i) Buildon Plasters Pvt. Ltd., importer in India

(ii) Buildon, importer in India

(iii) Sankhla Brothers, Indian Importers

(iv) Saikrupa Agencies, Indian Importers

(v) Vinayak Gypsum, Indian Importers

(vi) Prabha Especialities, Indian Importers

k) The period of investigation (POI) for the present investigation 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 months). The injury period under investigation will, however, cover the periods April 2016 to March 2017, April 2017 to March-2018, April 2018 to March 2019, and the period of investigation (POI)**.**

l) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented / submissions made by the various interested parties through emails.

m) A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has also called DG System data to check the claims of the interested parties. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

n) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all the interested parties to present their views orally in a hearing held on 1.3.2021. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

o) A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other

interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.

p) Further information was sought from the Applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.

q) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

r) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the domestic industry / exporters and importers was not carried out due to travel restrictions because of COVID-19. However, complete desk verification, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding.

s) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.

t) The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding statement, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.

u) The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

v) A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would form the basis of the final findings was issued to the interested parties on 10.09.2021 and the interested parties were allowed time up to 16.09.2021 to comment on the same. Further, a corrigendum to the disclosure statement was issued on 18th September, 2021, and interested parties were asked to file comments, if any, by 21st September, 2021. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final findings' notification.

w) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final finding on the basis of the facts available.

x) *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

y) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$1 = ₹71.65

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

The product under consideration in the present application is *"Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster"* (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"). The subject goods are also known as Plaster of Paris, Gypsum Stucco and Stucco Powder". Gypsum Rock is chemically called Calcium Sulphate Dihydrate (CaSO4. 2 H2O), which when heated in controlled way it loses 1.5 water (H2O) from its crystal structure to become stucco or gypsum plaster which is chemically known as Calcium Sulphate Hemihydrate. The subject goods are majorly used for levelling plaster in building applications, decorative building elements like cornices & POP sheets, etc.

C.1. Submissions made by the domestic industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

    a. The product under consideration in the present application is "Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster". The subject goods are also known as Plaster of Paris, Gypsum Stucco and Stucco Powder".

    b. Gypsum Rock is chemically called Calcium Sulphate Dihydrate (CaSO4. 2 H2O), which when heated in controlled way it loses 1.5 water (H2O) from its crystal structure to become stucco or gypsum plaster which is chemically known as Calcium Sulphate Hemihydrate (CaSO4. 0.5 H2O).

    c. The subject goods are majorly used for the following applications:

        i. Levelling plaster in building applications. It is used for levelling the surface. i.e., brick / block / RCC surface is coated with a 12-15 mm of gypsum plaster which gives it a smooth undulation, crack free finish. On top of this then putty and paint is applied. Traditionally people used to use sand-cement plaster which is now replaced with a direct coat of gypsum plaster

        ii. Decorative building elements like cornices & POP sheets.

        iii. Punning. It is used as a levelling / finishing element on top of sand-cement plaster.

    d. The subject products are classified under Chapter Heading 25 "Mineral products: Salt; Sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement" of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 25202010. However, goods are coming under other heads of Chapter 25 also. It is also noted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.

    e. The Applicant has submitted that subject goods produced by the Applicant company and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the Applicant. Calcined Gypsum Powder produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules.

C.2. Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

6. No submission has been made by any of the interested parties with regard to the product under consideration and like article.

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present application is "Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster". The subject goods are also known as Plaster of Paris, Gypsum Stucco and Stucco Powder".

8. Gypsum Rock is chemically called Calcium Sulphate Dihydrate (CaSO4. 2 H2O), which when heated in controlled way it loses 1.5 water (H2O) from its crystal structure to become stucco or gypsum plaster which is chemically known as Calcium Sulphate Hemihydrate (CaSO4. 0.5 H2O).

9. The subject goods are majorly used for levelling the surface. i.e., brick / block / RCC surface is coated with a 12-15 mm of gypsum plaster which gives it a smooth undulation, crack free finish. On top of this then putty and paint is applied. Traditionally people used to use sand-cement plaster which is now replaced with a direct coat of gypsum plaster. It is also used as decorative building elements like cornices & POP sheets. The subject goods are also used for the purposes of punning, such as a levelling / finishing element on top of sand-cement plaster.

10. The subject products are classified under Chapter Heading 25 "Mineral products: Salt; Sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement" of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 25202010. It is also noted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.

11. As per Rule 2 (d) of the Rules relating to the definition of "like article," it is specified that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.

12. On the basis of information on record, the Authority notes that there is no known difference in the product under consideration exported from the subject countries and the product produced by the Indian domestic industry. The product under consideration produced by the Indian domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

13. Thus, the Authority holds that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries in accordance with the Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the domestic industry

14. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of the domestic industry & standing are as follows:

    a. The present application has been filed by M/s Saint Gobain India Pvt Ltd. (SGIPL), who is the major producer of the product under consideration in India accounting for more than 50% of the total production of the domestic like product in India.

    b. The producers of the subject goods are from fragmented industry consisting of a large number of small producers across the country. Many of the producers have either closed their operations or on the verge of closure due to dumped and injurious imports of the subject goods from the subject countries.

    c. SGIPL accounts for major proportion of the product under consideration in India; the applicant satisfies the standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

D.2. Submissions made by other interested parties

15. The following submissions have been made by the interested parties with regard to scope of the domestic industry & standing:

    a. There are hundreds of producers of the subject goods in India primarily small-scale units and, therefore, it is not practically possible to collect data relating to the production from each individual producer. Further, the Applicant has not taken any sincere efforts to gauge the total Indian production on some reasonable basis and mere estimates are apparently made. Total Indian production of the subject good and the share of the Applicant in the same may kindly be determined based on reasonable data and not based on some unsubstantiated estimates.

    b. The claims of satisfaction of conditions Rule 2 (b) needs to be subjected to strict scrutiny and the Applicant do not apparently represent the "domestic industry" concerning the subject goods as envisaged in the Rule.

    c. All Rajasthan Gypsum Plaster Industries Association has also submitted letter requesting imposition of duties, stating that due to dumped imports their members have either closed their operations or on the verge of closure.

D.3. Examination by the Authority

16. Rule 2 (b) of the Rules defines domestic industry as under:

    "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

17. The application has been filed by M/s Saint Gobain India Pvt Ltd. (SGIPL), who is the major producer (more than 50%) of the domestic like product in India. M/s SGIPL has further submitted that in the present case producers of the subject goods are from fragmented industry consisting of a large number of small producers across the country. The application was supported by three companies namely HI-TECH Gypsum Pvt. Ltd, Premier Chemical Company and Alagar Poly Tex (P) Ltd. accounting for *** of the total domestic production. It is also noted that All Rajasthan Gypsum Plaster Industries Association has also supported the petition filed by the Applicant. Further, the Authority has also received no letter opposing the said investigation.

18. The Authority notes the submission of the other interested parties as well as the domestic industry that there are hundreds of producers of the subject goods in India primarily small-scale units and therefore, it is not practically possible to collect data relating to the production from each individual producer, due to the nature and size of industry. The other interested parties have also claimed that the total Indian' production of the subject goods and the share of the Applicant in the same may be determined based on reasonable data. However, none of the interested parties have provided any basis for determining the total Indian production of the subject goods.

19. The Authority has, therefore, relied on the information on record for calculating the total Indian production.

20. The Applicant producer has also certified that there are no imports of the product under consideration by the Applicant or any of its related party. Further, they are also not related to any importer of the subject goods in India.

21. Therefore, the Authority has considered the Applicant as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the domestic industry

22. The following submissions have been made by the domestic industry:

a. The Applicant has followed the requirements mentioned under Trade Notice No. 10/2018 to the hilt and has provided all the information as required under the said Trade Notice. It is pertinent to note that while making bold accusations, the respondents have miserably failed to point out any material deviation from the requirements of Rule 7 read with the relevant Trade Notices.

b. The responses from the responding producers/exporters from the subject countries as well as that of the importers are not in accordance with their obligations under Rule 7 of the Anti-dumping Rules and various Trade Notices issued by the Authority in this regard.

c. Certain interested parties have not provided the domestic industry with the non-confidential version of their questionnaire responses and have flouted the provisions of the Rules. Such parties along with their questionnaire response are required to be rejected by the Authority in terms of Rule 7(3).

d. While the responses filed by the responding parties are deficient in terms of Rule 7, certain parties have not even provided non-confidential version of their response to the domestic industry. Such withholding of critical information has severely restricted the ability of the domestic industry to comment on the response filed by them.

e. The exporters have claimed excessive confidentiality without any proper justification. The non-confidential version of the questionnaire response has not been given for all the information contained in the confidential version without assigning proper reasons.

f. The Hon'ble Courts and Tribunals had clearly held that information provided to the Designated Authority on confidential basis is not required to be treated as confidential merely because it is provided to the Designated Authority on a confidential basis and has further laid down detailed guidelines to examine claims of confidentiality. Further, it has been clearly held that confidentiality is not a mere tool to deny disclosure to kill transparency, or to create a handicap for the opposing parties. It has been laid down that for the purpose of transparency; there is an obligation on the Authority to require the parties to furnish non-confidential summaries, which shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence.

g. Unfortunately, none of the said parties has even attempted to make good for the deficiencies in their responses nor was any explanation provided for claiming such vital information as confidential.

E.2. Submissions made by the other Interested Parties

23. The following submissions have been made by the interested parties with regard to confidentiality:

a. The present application suffers from excessive use of confidentiality and the Applicant has denied access to many basic information under the garb of confidentiality.

b. Information on the total Indian production, demand etc have been claimed as confidential without giving proper justification.

c. No indexations of costing formats are provided and as result the opposing parties are unable to gauge the reason for very high increase in the cost of the Applicant.

d. There are no ranges provided of normal value for Iran and no comments could be offered on that count also.

e. Rule 7 does not in any manner mean that the domestic industry can provide minimal information; rather it casts a responsibility on the domestic industry to furnish summaries in sufficient details so as to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted on confidential basis.

f. The Hon'ble CESTAT in Vitrified Tiles case held that the confidentiality is not a mere tool to deny disclosure to kill transparency, or to create a handicap for the opposing parties.

g. The law states that if the Authority finds that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the Authority may disregard such information.

h. The non-confidential version of the application is grossly deficient.

i. Such excessive use of confidentiality in the application severely prejudices the rights of defense of the interested parties and constitutes a clear violation of the norms of fundamentals fairness that should be afforded to interested parties in this investigation.

E.3. Examination by the Authority

24. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all the interested parties through emails / public file containing nonconfidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7) of the Rules.

25. Various submissions made by the Applicant as well as the other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, are examined and addressed as follows:

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information. (2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

27. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying

the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

28. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by the various interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of the submissions with each other through e-mails. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of the domestic industry have been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

29. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

30. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

A **F.1. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY**

31. The following submissions have been made by the domestic industry concerning normal value, export price and dumping margin and considered relevant by the Authority are as follows:

a. The domestic industry has provided sufficient evidence to support their claim of normal value and export price in their application for the purpose of the initiation. It is submitted by the domestic industry that they were not able to obtain any reliable information in relation to the prevailing prices in the subject countries. Further, information on imports of the subject goods into the subject countries or exports to other countries also was neither available in the public domain for the POI.

b. The normal value information, based on the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits are constructed after considering minimum export price of raw Gypsum from Oman i.e., USD 12.5 / MT on the basis of the Administrative Decision No. 264/2016 dated 19.12.2016 published by Public Mining Authority, Sultanate of Oman. Since Oman is part of the Gulf Cooperation Council (GCC), minimum export price of raw gypsum from Oman is considered as raw material price of raw Gypsum for other subject countries also.

c. It has been submitted by the domestic industry that due to the sanctions on Iran, Iranian Gypsum has very few export markets, and as per the data submitted by the cooperative producer / exporter, they have only exported to India. It is further submitted that the domestic market in Iran for Calcined Gypsum is very small compared to the volume of exports to India. Therefore, their normal value cannot be calculated based on their domestic sales in terms of Section 9A(1)(c)(i). Moreover, the fact that they are not exporting the subject goods to any other country, option available under Section 9A(1)(c)(ii)(a) is not available. Therefore, normal value has to be calculated based on Section 9A(1)(c)(ii)(b).

d. The domestic industry has submitted that the only participating exporter from Iran, M/s Negin Pars Industrial & Mining Co. owns the mines in Iran from where the primary raw material Gypsum is extracted. In such a situation, it is quite likely that the cost of extraction of Gypsum from mines is undervalued and is not in line with the international prices of the said raw material. Therefore, they have requested the Authority, to kindly consider the fair value of Raw Gypsum while computing the normal value.

e. As regards Oman, it has been submitted that there exists a particular market situation, where Raw Gypsum (the primary raw material) cannot be exported out of Iran below 12.5 USD/MT. This export restraint and price control has led to Raw Gypsum being available to the producers in Oman at prices below the international prices of Raw Gypsum.

f. The normal value for Iran will be the same as Oman because Iran, being in the same geographical region (Middle East) as of Oman, Saudi Arabia and UAE and due to sanctions imposed on them, minimum export price of raw gypsum from Oman will be the most robust and appropriate benchmark price of raw gypsum for Iran also.

g. That the domestic industry has procured import data from DGCI&S and according to the import data each of the subject countries account for more than 3% of the total imports of the subject goods in India and therefore, the submissions relating to import quantity from Oman, Saudi Arabia and UAE needs to be rejected.

h. The export price is calculated based on the transaction-wise DGCI&S import data. Further the Applicant has deducted ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, bank charges, commission, credit cost.

i. As per the DGCI&S import data as well as the private source import data procured by the domestic industry, it shows that the imports from all the subject countries are above de-minus levels and therefore, submissions of the interested parties regarding import quantity should not be accepted.

j. Since there is no cooperation from Oman, UAE and Saudi Arabia, the domestic industry has requested that the dumping margin and injury margin should be calculated based on the best information available with the Authority in terms of Rule 6(8).

F.2. Submissions made by the other interested parties

32. The submissions concerning normal value, export price and dumping margin made by the producers/exporters/importers/other opposing interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

a. The Applicant has constructed the cost of production of the subject goods in the subject countries based on input cost which does not pertain to the POI, and to each of the subject countries separately.

b. The Applicant has not disclosed even the range of normal value and no comments can be offered on such claims to assist the Authority.

c. The Applicant has claimed excessive adjustments from the export price which is also apparently intended to show a lower export price.

d. The claims of dumping and injury margin in the application appear highly exaggerated and not based on relevant and applicable facts.

e. The Authority must consider the actual data relevant for normal value and export price provided by the participating producers/exporters.

f. The Authority may determine individual dumping and injury margin for the producer/exporter in this submission who had filed the EQR as prescribed.

g. It is submitted that the official statistic from Oman shows that there are very negligible exports of the subject goods to India during injury investigation period. Therefore, the instant investigation against Oman should be immediately terminated as their share in total imports is far below prescribed levels. Similar arguments were placed by Saudi Arabia and UAE.

h. The Applicant has not only used unrealistic information for constructing normal value but also used obsolete information that showed an outdated information outside the period of investigation, such as the prices of raw materials sourced in 2016.

i. The Producer / exporter from Iran has requested that since they have filed complete information for all the related as well as unrelated as per format, their dumping margin and injury margin should be calculated based on their data.

j. The Producer / exporter from Iran has submitted that it is a baseless allegation that owning a mine, if any, means a particular market situation. Moreover, they have requested the Authority for computing normal value and export price based on the data submitted by them.

k. The cost of production of the company reasonably reflects the cost associated with the production of the subject goods and the claims of petitioners has no meaning.

F.3. Examination by the Authority

F.3.1. Determination of normal value and export price

Normal value computation

33. Under section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b);

34. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have participated in the present investigation by filing their questionnaire responses:

    a. Global Gypsum Board CO LLC

    b. Negin Pars Industrial & Mining Co., Iran

    c. Buildon World (FZE), UAE

    d. Rock World FZC, UAE

    e. Buildon Plasters Pvt. Ltd.

    f. Buildon

35. As regards the quantum of imports from Oman, Saudi Arabia and UAE, the Authority has checked the DGCI&S data, and found that as per the data available on record, imports from Oman, Saudi Arabia and UAE are more than prescribed limit of 3%. Moreover, the Authority, has also crosschecked the veracity of the submissions relating to the import percentage from DG Systems data.

36. As regards the response filed by M/s Global Gypsum Board CO LLC, an exporter from Oman, the Authority notes that the exporter questionnaire response filed was grossly deficient. The said exporter was requested to file the response in the form and manner prescribed by the Authority within the stipulated time. However, no information was filed by M/s Global Gypsum Board Co LLC. Therefore, in the absence of sufficient information, the Authority rejects the exporter questionnaire response filed by M/s Global Gypsum Board Co LLC.

37. However, from the response filed by M/s Global Gypsum Board CO LLC, the Authority notes that the said exporter has claimed to have exported about *** MT of the PUC to India from Oman. Therefore, the claim regarding negligible imports from Oman stands negated.

38. Only Negin Pars Industrial & Mining Company and its unrelated exporters have provided the required data, and therefore, the Authority has examined the information by the cooperating producer and exporter. The Normal value and export price of all other exporters from Iran and other subject countries is determined based on best information available in terms of Rule 6(8).

F.3.2. NORMAL VALUE

M/s Negin Pars Industrial & Mining Company, Iran (Producer), M/s Buildon World (FZE), UAE (Exporter) and M/s Rock World FZC UAE (Exporter)

39. From the data filed by the cooperating producer and exporters Iran, it is noted that Negin Pars Industrial & Mining Co is a producer of the subject goods from Iran and the Company has exported the subject goods to India through two unrelated exporters in UAE namely Buildon World FZE and, Rock

World FZC. It is noted that Buildon World FZE exported the subject goods to its related importer in India namely Buildon Plasters Pvt Ltd, and Rock World FZC exported the subject goods to both its related importer in India namely Buildon and also to unrelated customers.

40. The questionnaire responses of the above parties have been examined and it is noted that the respondent producer has provided the domestic sales price details of the subject goods in respective Appendices with costing data for mandatory ordinary course of trade test. However, the Authority notes that the Company have sold only *** MT of the subject goods in the domestic market which is only ***% of the exports of the subject goods made to India. In view of the same, the Authority notes the domestic sales made by the Company are insufficient in terms of volumes, when compared with volume of exports to India and, therefore, domestic sales so presented by the Company cannot be considered for the purpose of determining the normal value.

41. It is also noted that the Company has not exported to third countries, and therefore sale of the subject goods to an appropriate third country cannot be determined for the purpose of normal value.

42. Keeping in view the aforesaid facts, the normal value for the Company is determined in terms of Section 9A(c)(ii)(b) which says as under:

> *"(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)".*

43. Accordingly, the Authority has determined the normal value for Negin Pars Industrial & Mining Co on the basis of the cost of production of cooperating producer and exporter in Iran with reasonable profit which is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all other producers/exporters from Iran

44. The Authority notes that no other exporter/producer from Iran has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Iran, the Authority has determine the normal value on the basis of facts available. The normal value so determined is given in the dumping margin table below.

Normal value for all other producers/exporters from Oman, Saudi Arabia and UAE.

45. The Authority notes that no other exporter/producer from Oman, Saudi Arabia and UAE has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in the Oman, Saudi Arabia and UAE, the Authority has determined the normal value on the basis of facts available. The normal value so determined is given in the dumping margin table below.

F.3.3. EXPORT PRICE

46. In view of the information provided by the interested parties, the Authority has determined export price for all producers/exporters based on the transaction-wise import data provided by the interested parties in their respective questionnaire responses, after considering adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, bank charges, commission, credit cost. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the table below:

M/s Negin Pars Industrial & Mining Company, Iran (Producer), M/s Buildon World (FZE), UAE (Exporter) and M/s Rock World FZC UAE (Exporter)

47. It is noted from the data filed by the cooperating producer and exporters Iran that Negin Pars Industrial & Mining Co is a producer of the subject goods from Iran, and the Company has exported the subject goods to India through two unrelated exporters in UAE namely Buildon World FZE and, Rock World FZC. Buildon. It is noted that World FZE exported the subject goods to its related importer in India

namely Buildon Plasters Pvt Ltd and Rock World FZC exported the subject goods to both its related importer in India namely Buildon and also to unrelated customers. Response has been filed by all the entities as noted and the same is considered for the determination of export price.

48. It is further noted from the response filed by Buildon World FZE and, Rock World FZC that the companies have exported the subject goods produced by Negin Pars Industrial & Mining Co and also some other producers. However, producers other than Negin Pars Industrial & Mining Co have not cooperated with the Authority. In view of the same, exports of the subject goods produced by Negin Pars Industrial & Mining Co alone is considered for determination of export price in case of Buildon World FZE and Rock World FZC.

49. As per the questionnaire responses, Negin Pars Industrial & Mining Co has exported *** MT of the subject goods through Buildon World FZE and *** MT of the subject goods through Rock World FZC to India during period of investigation. The Authority has allowed the adjustment as claimed by the exporter on account of Inland freight, and port expenses. With regard to other adjustments i.e. export incentives which are claimed to have been paid by the Government, it is noted that said adjustments have not been allowed by the Authority, as per relevant provisions under the Rules, and the consistent practice of the Authority.

50. Thereafter, Net Export Price has been determined for the cooperating producer and exporter and the same is shown in the table below.

Export Price for all other producers/exporters from Iran

51. It is noted that no other producer/exporter from Iran has cooperated in the present investigation. In view of non-cooperation, the Authority has determined export price for such other producers/exporters based on facts available in terms of Rule 6(8) which is calculated and mentioned in the dumping margin table.

Export Price for all other producers/exporters from Oman, Saudi Arabia and UAE

52. It is noted that none of the exporter/producer from Oman, Saudi Arabia and UAE has filed questionnaire response. Therefore, the Authority considers that the producers/exporters from Oman, Saudi Arabia and UAE have preferred non-cooperation. Export price for all the exporters from Oman, Saudi Arabia and UAE has been determined based on the imports reported in the DGCI&S, after due adjustments. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table below.

F.3.4. DUMPING MARGIN

53. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject countries is determined as given in the dumping margin table below:

Dumping Margin Table

Country	Producer	Normal Value/ CNV (US$/MT)	Export Price (US$/MT)	Dumping Margin US$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Iran	Negin Falat Pars Industrial & Mining Co.	***	***	***	***	100-110
	Others	***	***	***	***	340-350
Oman	All Producers	***	***	***	***	290-300

Saudi Arabia	All Producers	***	***	***	***	370-380
UAE	All Producers	***	***	***	***	310-320

54. The Authority notes that the dumping margin from the subject countries is not only more than *de-minimus* but also significant.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Submissions by the domestic industry

55. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced below:

a. The volume of imports from the subject countries has shown increase in absolute terms in the POI as compared to the base year and the preceding years, except 2015-16.

b. The share of the subject imports in consumption/demand in India increased in the POI as compared to the base year and the preceding years.

c. The apparent demand/consumption of the subject goods shows a positive trend throughout the injury period.

d. The volume effect of dumped imports on the domestic industry has been significantly adverse.

e. The share of imports from the subject countries in the production has increased from 232% in the year 2017-18 to 264.4% in the POI denoting that the imports have not only increased in absolute terms but also increased in relation to demand and domestic production.

f. The landed value from the subject countries as a whole has declined from Rs. 4082 /MT in the base year i.e., 2016-17 to Rs. 3778 / MT in the POI. Thus, the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry, resulting in positive and significant price undercutting during the POI.

g. Even the landed price of imports is substantially below the NIP of the domestic industry, resulting in severe price underselling. The price underselling is positive from all the subject countries during the POI.

h. The domestic industry is prevented from increasing its prices to the remunerative levels, thereby, proving that the prices of the domestic industry are suppressed / depressed.

i. Capacity Utilization remained at very low levels despite increase in demand.

j. Demand has increased by 226738 MT whereas sales of the domestic industry increased only by 58224 MT during the injury investigation period, indicating that the substantial portion of the demand is taken over by imports only.

k. While the apparent consumption increased over the injury period, the market share of the domestic industry declined, and the market share of the subject countries increased significantly.

l. Due to the dumped imports, the profitability per MT of the domestic industry and Return on capital employed, cash profits and profit before interest were negative. Thus, the profitability of the domestic industry has been severely affected in the period of investigation due to the dumped imports from the subject countries.

m. Despite an increase in demand, the inventory available with the domestic industry increased substantially during the POI.

n. Productivity has increased in the POI as compared to the preceding years.

o. The domestic industry has claimed that the number of employees engaged by the domestic industry has remained same throughout the injury investigation period.

p. The domestic industry has suffered price underselling on account of imports of the subject goods from the subject countries. The domestic industry has submitted that this could be the likely position of the domestic industry in the event of revocation of existing anti-dumping duties from the subject countries are revoked.

q. The parameters such as profits, cash profits, profit before interest, return on capital employed, market share were significantly adverse even in absolute numbers. Despite growth in terms of production and domestic sales, the domestic industry continues to incur losses on account of low value dumped imports from the subject countries.

r. No other factor can be attributed to the material injury suffered by the domestic industry.

G.2. Submissions made by the other interested parties

56. The submissions with regard to injury suffered by the domestic industry and the causal link made by the producers/exporters/importers/other opposing interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

a. That there is no volume and price injury to the domestic industry. Further, there is no decline in injury parameters as envisaged in Annexure II (iv) of the Rules. It is further submitted that there is some decline between POI and immediate previous year, but it is not so significant. In a situation of effects of dumped imports, the petitioner ought not to have achieved such overall growth in volume and price parameters.

b. There are notable improvements in many factors during the injury period such as production, sales, capacity utilization, productivity, employment, and wages.

c. That the apparent decline in the share of the domestic industry in demand is due to the fact that overall demand has grown, and domestic industry does not have the sufficient capacity to cater the increased demand.

d. The negative financial position in the basic year 2016/2017 demonstrates that the Applicant was already suffering from other causes of injury than imports before the injury period. It is further submitted that the decline in parameters between the POI and the immediate previous year cannot be linked to landed price of imports in any way as the loss was the highest in base year when the price undercutting was in the range of 70-90% and the losses reduced when the price undercutting was at a high range in the POI between 80-100% as per the claims of the Applicant.

e. There was an increase in the selling price from 92 points to 98 points in the same period which clearly shows that the decline in parameters during the POI and the immediate previous year cannot be linked to landed price of imports from the subject countries. It is further submitted that when the petitioner could increase its selling price during the POI viz. the immediate previous year, the slight decline in volume parameters should also be on account of other parameters other than the volume of imports.

f. That the cash flow and employment showed improvement vis. base year, the petitioner did not find it difficult to raise additional capital to increase the capacity and the capacity was increased twice in the injury period including the POI.

g. The alleged injury cannot be linked to the landed price from the subject countries as the loss only reduced when the price undercutting was at the highest level.

h. In a situation of landed price influencing the domestic prices, the petitioner would not have increased the prices and also would not have increased the profitability.

i. The cost of production of the petitioner increased significantly from 100 basis points to 218 points which shows the cost more than doubled by the POI which is a situation which warrants detailed scrutiny by the Authority.

j. The application did not contain sufficient data regarding the non–attribution analysis.

k. The only possible conclusion based on the facts of the present case is that the petitioner did not suffer any injury as envisaged in the Rule and the petitioner got the full benefit of increase in demand for the product in India.

G.3. Examination by the Authority

57. Rule 11 of the Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles".*

58. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under:

> *"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping,· actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

59. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

60. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

61. Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a) The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

b) A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products

62. The Authority notes that:

a) The subject good are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than de minimis limits prescribed under the Rules.

b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

c) Cumulative assessments of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.

63. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.

64. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

65. The Authority has taken note of the submissions of the domestic industry and all the other interested parties and has analyzed the same considering the facts available on record and the applicable laws. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses all the concerns raised.

66. As regards the contention that domestic industry does not have sufficient capacity, it is noted that the domestic industry is operating at sub-optimal capacity utilization. Therefore, capacity in not a constraint in supplying the subject goods.

67. Issues relating to capacity utilization, net sales realization, cash flow, employment and other injury parameters are analyzed in the following paragraphs.

G.3.1. Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry

a. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

68. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian Producers and imports from all sources.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from Iran	MT	87831	119358	82607	21030
Imports from Oman	MT	10773	15094	29457	45122
Imports from Saudi Arabia	MT	6865	23597	31654	24738

Imports from UAE	MT	17145	43345	102905	177623
Imports from the subject countries	MT	122614	201395	246623	268513
Imports from Other Countries	MT	8152	3303	11887	11768
Total Imports	MT	130766	204697	258511	280281
Domestic Sales of DI	MT	***	***	***	***
Trend	Trend	100	204	251	237
Domestic Sales of Other Domestic Producers	MT	***	***	***	***
Index	Trend	100	203	141	130
Total Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	203	185	173
Total Demand	MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	178	192	196

69. It is noted from above table that the demand of the subject goods has increased from 100 indexed points in the base year to i.e., 196 indexed points in the POI.

b. Import volume and Market Share

70. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The factual position is as follows:

Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**POI**
Imports from the subject countries (MT)	122614	201395	246623	268513
Imports from Other Countries (MT)	8152	3303	11887	11768
Total Imports (MT)	130766	204697	258511	280281
% share of Subject Countries in Imports	93.8%	98.39%	95.40%	95.80%
Total Demand (MT)	***	***	***	***
Imports in relation to demand				
% Share of Subject Countries in Demand	***	***	***	***
Indexed	100	93	105	112
Imports in relation to Production				
Domestic production (MT)	***	***	***	***
% Share of subject countries in production	***	***	***	***
Index	100	81	80	92

71. It is noted that the volume of imports from the subject countries has shown a significant increase in absolute terms in the POI as compared to the base year It is further noted that the share of the subject

imports in consumption/demand in India also increased in the POI as compared to the base year and the preceding years.

G.3.2. Price Effect of dumped imports and impact on domestic industry

72. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression if any.

a. Price Undercutting

73. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level:

Particulars	**UoM**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
Landed value from the subject countries	Rs/MT	4082	3711	3878	3778
Indexed	Trend	100	91	95	93
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed	Trend	100	92	92	98
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	80-90	80-90	70-80	90-100

74. The Authority notes that the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry, resulting in positive and significant price undercutting.

75. It is seen that the imports from the subject countries as a whole are entering at a price below the domestic selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting. It is submitted by the domestic industry that the price undercutting from all the subject countries individually also is positive. The same can be seen from the Table below:

Particulars – POI	**UoM**	**Iran**	**Oman**	**Saudi Arabia**	**UAE**
Landed Value	Rs/MT	3875	3986	3579	3741
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	80-90	80-90	100-110	90-100

76. The domestic industry submitted that because of this aggressive pricing of the exporters from the subject goods, domestic industry was unable to increase their sales volume and market share.

Moreover, they are also not able to recover their complete cost. Further, the domestic industry as well as other producers are losing their market share with this kind of significant price undercutting.

b. Price suppression and depression

77. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices and landed value over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	**UoM**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
Landed value from the subject countries	Rs/MT	4082	3711	3878	3778
Trend	Indexed	100	91	95	93
Domestic selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	92	98
Cost	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	75	92

78. It is noted that the landed price of subject goods from subject countries is below the cost of sales as well as selling price of the domestic industry. Further, the decline in landed price has led to depressing effects on the prices of the product in the market.

G.3.3. Economic parameters relating to the domestic industry

79. Annexure II to the Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

80. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties.

a. Production, capacity, sales & capacity utilization

81. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	**UoM**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
Capacity (MT)	MT	***	***	***	***
Trend		100	132	148	148
Total Production (MT)	MT	***	***	***	***
Trend		100	199	245	232
Capacity utilization (MT)	%	***	***	***	***

Trend		100	151	166	157
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend		100	204	251	237

82. It is noted that the capacity of the domestic industry increased from 2018-19 onwards. It is also noted that the domestic industry's capacity utilization has increased during the POI as compared to the base year, though it has declined in the POI as compared to preceding year. Further, the capacity utilization remained at low levels during the entire injury investigation period despite increase in demand. It is also noted that the sales of the domestic industry increased till 2018-19 and declined thereafter.

ii. Market share

83. Market share of alleged dumped imports and the domestic industry have been examined as below:

	UoM	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**POI**
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend		100	178	192	196
Market share of Total Domestic sales in Demand	%	***	***	***	***
Trend		100	115	96	88
% Share of subject Countries in Demand	%	***	***	***	***
Trend		100	92	105	112

84. It is noted from the above that whereas demand for the product under consideration increased over the injury period, market share of the domestic industry declined during POI as compared to the base year and the preceding years. At the same time, market share of the subject countries increased.

iii. Profits, Return on Investment and Cash Profit

85. Profits, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**UoM**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
Selling price/unit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	92	98
Cost/unit	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	75	92
Profit/loss per unit	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	59	25	-52
Depreciation	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	116	152
Cash Profit Lacs	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	848	610	-36

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Cash Profit	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	417	245	-13
Return on capital employed (ROCE)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	137	68	-127

86. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has been severely affected in the period of investigation.

87. The Authority also notes that the profits of the domestic industry have declined. The ROCE is negative during the POI. The profitability per MT of the domestic industry and Return on capital employed, cash profits and profit before interest were negative.

iv. Inventories

88. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Inventory	MT	***	***	***	***
Trend		100	168	246	454

89. It is noted by the Authority that despite an increase in demand, the inventory available with the domestic industry increased substantially during the POI.

v. Employment, Productivity

90. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Year	2014-2015	2015-2016	2016-2017	POI
Production (MT)	***	***	***	***
Trend	100	204	252	238
Employees	***	***	***	***
Trend	100	102	93	95
Production/employee	***	***	***	***
Trend	100	200	269	251

91. It is noted from the above table that:

a. The productivity has increased in the POI as compared to the preceding years.

b. It is noted that the number of employees engaged by the domestic industry has remained almost same throughout the injury investigation period.

vi. Magnitude of dumping

92. It is noted that imports from the subject countries are entering into India at dumped prices and the margin of dumping are above de minimis limits, and are also significant.

vii. Growth

93. The growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, profits, cash profits and return on investment is as per below table. It is seen that the growth of the domestic industry was negative in respect of a number of volume and price parameters.

94. The same is reflected in the table below:

Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
Domestic Sales of DI	-	***	***	***
Production of DI	-	***	***	***
Capacity utilization	-	***	***	***
Market Share of DI in Demand	-	***	***	***
Profit & Loss	-	***	***	***
Cash Profit	-	***	***	***
ROCE	-	***	***	***

G.3.4. Factors affecting domestic Price

95. The examination indicates that the demand in India for the subject goods is not a limiting factor for the growth of the domestic industry. The import prices from the subject countries are directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. It is also noted that the landed value of the subject goods from the subject countries are below the cost of sales as well as selling prices of the domestic industry.

96. Further, landed prices of the subject goods from the subject countries have depressed prices of the domestic industry. The imports of the product under consideration from countries other than the subject countries are very less and are not claimed to be injuring the domestic industry.

G.3.5. Magnitude of injury margin

97. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price (LP) from each of the subject countries for calculating injury margin (IM).

Injury margin Table

Country	Producer	Non- Injurious Price (US$/MT)	Landed Value (US$/MT)	Injury Margin US$/MT	Injury Margin%	Injury margin % range
Iran	Negin Falat Pars Industrial & Mining Co.	***	***	***	***	120-130
	Others	***	***	***	***	250-260
Oman	All Producers	***	***	***	***	110-120
Saudi	All Producers	***	***	***	***	130-140

Arabia						
UAE	All Producers	***	***	***	***	120-130

98. It is noted that injury margin is positive and significant for cooperating producer as well all producers from subject countries for POI.

H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

99. The Authority has noted other factors listed under the Rules, which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

H.1. Non-attribution Analysis –

100. The Authority notes the following with regard to the other known factors capable of causing injury to the domestic industry:

a. Imports from other sources

101. The imports of the subject goods from sources other than subject countries are below de-minimis. It is, therefore, seen that the imports from other countries have not caused injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

102. There is no contraction in demand for the products under consideration in India.

c. Changes in the pattern of consumption

103. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

104. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

105. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic injury.

f. Export performance

106. The domestic industry is not exporting the subject goods. Therefore, injury caused is only because of domestic operations.

g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

107. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

Conclusions on injury and causal link

108. The Authority notes the following:

a) Imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to consumption.

b) The market share of imports of subject goods from subject countries has increased, while the share of domestic industry has declined over the same period.

c) The dumped imports of subject goods from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of subject goods is below the cost of sales as well as selling price of the domestic industry. Further, the price undercutting has led to depressing effects on the prices of the product in the market.

d) Even though the production and domestic sales have increased during the POI as compared to preceding years, the capacity utilization remains low and suboptimal.

e) The growth of the domestic industry became negative during the POI in terms of number of price related economic parameters like profit, return on capital employed and cash profits etc as a result of dumped imports of the subject goods from the subject countries.

f) The volume and price effects caused by the dumped imports of subject goods from subject countries has adversely impacted the profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry during the POI. It is also noted that profit, cash profit and ROCE has turned negative during the POI.

109. It is thus seen that dumped imports of subject goods from subject countries have caused material injury to the domestic industry.

I. POST DISCLOSURE COMMENTS

Submissions made by the other interested parties

110. The submissions made by the other interested parties are as follows:

a) That the Government of the Sultanate of Oman did not receive an intention letter prior to the initiation of the investigation in violation of article 5.5 and the recommendation adopted by the Committee on Anti-Dumping Practices on 29 October 1998.

b) The disclosure statement is excessive confidential and does not allow proper understanding of the facts.

c) That M/s Global Gypsum Board CO LLC has filed lot of information and based on that their response should not be rejected and they should be awarded individual duty.

d) Quality of imported Gypsum is very good, as imported percentage of CaSO4 is between 80 to 95% and the domestic industry is not able to match the quality. Further, imported product under consideration is pure and plain whereas, product sold by the domestic industry is not plain and pure. There is huge variation in the strength of the imported product vis a vis the domestically manufactured product. Even the domestic industry is also importing raw material and therefore, they are also contributing to their injury.

e) Gypsum business is essentially a high bulk – low value business wherein the handling and transportation costs are way higher than the actual cost of the product. Therefore, the transportation costs should be considered while analyzing the impact on the domestic industry. Moreover, landed value of subject goods provides level playing field to the domestic industry and other producers from Rajasthan.

f) That the basis for considering USD 12.5 price for Gypsum rock, cannot be relied upon as the same is of prior period and not for the POI.

g) Since the industry is fragmented industry, the petitioner does not account for 25% of the total production in India. Further, imposition of the anti-dumping duty will create monopoly of the domestic industry in the market and therefore, duties should not be recommended.

h) That the domestic industry is not suffering any injury in terms of the Rules.

i) Profit earned by the importers will be retained in India, whereas profit earned by the domestic industry will be repatriated overseas. Indian importers are getting imported Gypsum at attractive prices, any duty will increase cost for real estate and therefore, imposition of duty is not in the interest of Indian importers.

j) With regard to the export price, the Authority may consider the export incentives as part of the export price of the Company. The non-acceptance of adjustments claimed for export incentive is triggering very high dumping/injury margin in the case of above parties whereas in reality the Company determined its export prices in view of the export incentive as well. Our detailed comments in this regard already filed may once again considered before final findings by the Authority

k) The name of the producer from Iran as above and name of the exporters based in UAE as above may please be mentioned in the duty table as one producer-exporter value chain as not mentioning the names of exporters who are based in UAE along with the producer who is in Iran may trigger significant hardships for the importers at the customs front because both Iran and UAE are subject countries in this matter.

l) The exporters and users have requested for reference price duty, so that genuine good quality product at higher prices should not be penalized.

m) In addition, reference price-based duties will also benefit domestic producers in fetching better realization and possible under invoicing and any duty absorption. At the same time, this will also not hurt exporters from country like Oman.

Submissions made by the domestic industry

111. The submissions made by the domestic industry are as follows:

a) That the domestic industry is purchasing raw gypsum from Oman and also from different parts of India based on the quality parameters. The domestic industry has also submitted that that there are various grades of gypsum found in India wherein purity levels are between 80 to 90% purity. Further, the domestic industry is using both Indian and imported gypsum rock in its production depending on its plant location and delivers performance meeting the IS standard in its gypsum plaster irrespective of the input raw material being from India or imported.

b) That the IS 2547 code for gypsum plaster mentions the compressive strength of gypsum plaster needs to be 1N/mm2, and all gypsum plaster whether they are made of domestic or imported raw materials comfortably delivers the requisite strength. It is further submitted that entire North India market including many prestigious government projects including AIIMS hospitals and the proposed new parliament building will use Indian gypsum. In view thereof, the arguments relating to Indian gypsum plaster made of inferior grade is factually wrong.

c) As regards fragmented industry and standing, it is submitted that majority of the producers in MSME sector like Rajasthan POP Association have to shut down in the last few years under the relentless onslaught of cheap imports from subject countries. This has resulted in size of the local players coming down. It is further submitted that once anti-dumping duties will be imposed and fair competition will be restored, MSME sector will be revived and will also lead to large scale job creation.

d) That the only participating exporter from Iran, M/s Negin Pars Industrial & Mining Co. owns the mines in Iran from where the primary raw material Gypsum is extracted and therefore, cost of extraction of raw Gypsum from mines is undervalued and is not in line with the international prices of the said raw material and therefore, same cannot be said to be reasonably reflective of the cost

associated with production and sale of the article under consideration, in terms of the paragraph 1 of Annexure 1. In view thereof, they have requested not to accept their cost and also normal value.

e) As regards the new submissions made by certain parties as a part of the comments to disclosure statement, the domestic industry vehemently opposes the inclusion of such comments in the final findings. It is further submitted that DGTR is consistently rejecting new submissions at such belated stage.

f) It is further submitted that the issue of quality cannot be considered as a ground for either dumping, injury or causal link and, therefore, is of no consequence whatsoever. No evidence has been adduced to suggest that the quality differences between the imported and the domestic product prevents them from being used interchangeably. It is stressed by the domestic industry that both the imported and the domestic products compete in the same market.

g) The domestic industry also points out that assuming but not accepting that the quality of the imported goods is superior, no reason has been offered as to why they are being offered in the Indian market at prices lower than the Indian products which are claimed to be of inferior quality. Thus, the statements made by certain parties at this late stage of investigations cannot be accepted either legally or on merits.

h) The Domestic Industry has also requested for reference price-based duty, wherein the exporters would not have to pay any duty if their landed value is above the fair price determined by the Authority. Further, therefore, no prejudice would cause to any interested parties and at the same time, the objective of fair play in the market will be achieved by the DGTR

Examination by the Authority

112. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry, and the other interested parties representing exporting producers, exporters, importers and users, and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final finding. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:

a. Regarding the contention of the Government of Oman that the Authority did not did not receive an intention letter prior to the initiation of the investigation in violation of article 5.5 and the recommendation adopted by the Committee on Anti-Dumping Practices on 29 October 1998, the Authority notes that advance intimation was sent to the Government of the Sultanate of Oman vide email dated 16.10.2020 through their Embassy in India well before the initiation of the investigation.

b. The non-confidential version of the disclosure statement was issued as per the applicable Rules and consistent practice of the DGTR.

c. As regards response filed by Global gypsum, it is noted that the Authority had given an opportunity to Global Gypsum to rectify the response filed by them also to serve the non-confidential version of the responses to other interested parties. In view of non-receipt of response by M/s Global Gypsum rectifying the deficiencies in the exporter questionnaire response filed by them within the stipulated time period, the Authority has rejected the exporter questionnaire response filed by M/s Global Gypsum.

d. In relation to standing of the domestic industry, the Authority re-iterates that based on the information on record, the applicant accounts for major proportion of the production. Moreover, the Authority has not received any letter opposing the investigation. Therefore, the Authority holds that the applicant constitutes eligible domestic industry within the Rules.

e. Post issuance of disclosure statement, the exporters and users have raised quality issues on the PUC manufactured by the domestic industry. The Authority has also received representations from M/s Global Trading Company, M/s Milan Tanna and M/s VANS Gypsum Private Limited raising similar quality issues. In this regard, the Authority notes that these quality issues were raised for the first time, post issuance of the disclosure statement. However, none of the said parties have submitted any evidence to substantiate their claim or demonstrated as to how the quality differences, if any, would impact the analysis of the Authority in relation to either dumping, injury or causal link.

f. The Authority nevertheless has examined the issue of quality in the larger interest of the investigation and the user industry in particular. The Authority notes that the products supplied by the applicant conforms to the IS 2547 which is prescribed by the Government. Therefore, since the government has prescribed certain standards of a product and the product supplied by the domestic industry conforms to such standards, the consumers cannot contend that the product type produced by the domestic industry does not meet the desired standards. It is also noted that nothing substantial has been provided by the interested parties to demonstrate the difference in the quality of the product supplied by the domestic industry and imported into India.

g. The Authority has determined the injury based on the information on records and also based on the non-injurious price determined by the Authority and landed value of the imports. Therefore, the arguments that there is no injury are incorrect. Further, none of the interested parties has provided any evidence or information in support of their claim that the domestic industry is not suffering injury.

h. With regard to addition of incentives in the export price, it is noted that as per section 9A(1)b of the customs tariff act,

"Export price, in relation to an article, means the price of an article exported from exporting country or territory…."

Thus, it is noted that export price for the cooperative producer and exporter from Iran has been determined as per price which has been paid by the buyer of the article, as per invoice raised. Therefore, the Authority has not allowed any adjustment on account of any incentive. Accordingly, the claim of the exporter for making appropriate adjustment for such incentive is not allowed.

Indian Industry's Interest & Other Issues

113. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic producers, who are mostly from small and micro small segments and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

114. Regarding monopoly of the domestic industry, the Authority notes that apart from the domestic industry, there are a large number of small producers across the country thus showing significant domestic competition. Further, there are review provisions under the Rules to address the developments in subsequent periods.

115. On the basis of information on record, it is noted that many producers in of the PUC have to shut down in the last few years possibly be due to dumped imports from subject countries.

116. The Authority considered whether imposition of ADD shall have significant adverse public interest. For the purpose, the Authority examined the information on record pertaining to the interests of various parties, including the domestic industry, other domestic producers, importers and consumers of the product.

117. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD.

118. Even though the Authority had prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users provided any relevant information.

119. It is also noted that though six importers participated in the investigation, none of them filed any specific, substantiated or verifiable information or claims in relation to public interest which could form the basis of any analysis or consequent inferences for the Authority. Despite the lack of information and claims, the Authority has taken note of the views expressed by the interested parties and addressed them at appropriate places.

J. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

120. Having regard to the contentions raised, information received, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:

a. The product under consideration has been exported from the subject countries at a price below the normal value, thus resulting in dumping.

b. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of imports from the subject countries have increased in absolute terms and also in relation to consumption in India.

c. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.

d. The dumped imports of subject goods from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of subject goods is below the cost of sales as well as selling price of the domestic industry. Further, the price undercutting has led to depressing effects on the prices of the product in the market.

e. Production, sales and capacity utilization of the domestic industry has increased over the injury period though sales have marginally declined during the POI over the immediate previous year. The capacity utilization of the domestic industry has been very low in the entire injury period.

f. The volume and price effects caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries has adversely impacted the profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry during the POI. It is also noted that profit, cash profit and ROCE has turned negative during the POI.

g. There is causal link between dumping of the product under consideration from the subject countries and injury to the domestic industry.

h. The interested parties have not established the impact of ADD on the user industry with verifiable information. Since the duty recommended is based on lesser duty rule, the duty recommended is fairly reasonable and it is not likely to cause any adverse impact on the downstream industry.

i. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

j. In terms of provisions contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Taking into account factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-dumping duties. The Authority recommends imposition of antidumping duty on the imports of the goods described in col.3 of the duty table below originating in or exported from the subject countries from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. The anti-Dumping duty is recommended as the difference between the landed value of the goods as described in Col.3 of the duty table below and the amount indicated in Col.7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col.7. If the landed value is more than the value indicated in Col 7, the anti-dumping duty will not be applicable. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

S.N.	**Sub-Heading or Tariff Item**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Reference Price**	**Unit of Measurement**	**Currency**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2520	Calcined Gypsum Powder or Gypsum plaster	Iran	Any country including Iran	Negin Falat Pars Industrial & Mining Co.	82.73	MT	USD
2	-do-	-do-	Iran	Any country including Iran	Any other than serial no 1	102.66	MT	USD
3	-do-	-do-	Any other than the subject countries	Iran	Any	102.66	MT	USD

4	-do-	-do-	Oman	Any country including Oman	Any	117.84	MT	USD
5	-do-	-do-	Any other than the subject countries	Oman	Any	117.84	MT	USD
6	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Any	117.84	MT	USD
7	-do-	-do-	Any other than the subject countries	Saudi Arabia	Any	117.84	MT	USD
8	-do-	-do-	UAE	Any country including UAE	Any	117.84	MT	USD
9	-do-	-do-	Any other than the subject countries	UAE	Any	117.84	MT	USD

K. FURTHER PROCEDURE

121. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.09.27 22:47:11 +05'30'